हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

27 जनवरी, 1976

खण्ड 1, अक 11

अधिकृत विवरण

विषय–सूची

मंगलवार, 27 जनवरी, 1976

पृष्ठ

संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

(11) 1

तारांकित प्रश्नो के लिखित उत्तर

(11) 12

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर (11)16

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

(11) 17

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियो

के कल्याण सम्बन्धी समिति

(11) 17

का तृतीय प्रतिवेदन पेश करना ।

विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश करना

(11) 17

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 27 जनवरी, 1976

विध सभ की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन ।

सैक्टर– 1, चण्डीगढ में 14–00 बजे हु ई ।

अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr Speaker ; Question Hour.

तारांकित प्रश्न सं० 1446

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी दल सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न सं ० 1417

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी राम लाल वधवा, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Tannery at Jind

***1584 Chaudhri Phul Singh Kataria :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether the Government has fixed any date for the completion of Tannery at Jind; if so, the date on which it is likely to be completed

together with the; type of leather that the Tannery will supply and the mode of consumption of such leather?

Industries Minister (Sh. Harpal Singh) : No date has been fixed for the completion of the Tannery at Jind. It is however, likely to be commissioned by the end of the current financial year. The Tannery will be making fancy and sophisticated leather from goat and sheep skins. This leather will be used for preparing leather goods and garments. Part of the produce is also proposed to be exported.

चौधरी फूल सिह कटारिया : स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय यदु बताने की कृपा करेंगे कि इस टैनरी में कुल कितनी लानत आई है और किस–किस की कों–आप्रेशन से बनाई गई?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, इस पर टोटल लागत 1 करोड़ 20 लाख की आई है और टैक्नीकल गाइडैंस के लिए हमने सैन्ट्रल इंस्टीच्यूट आफ लैदर मद्रास से आदमी लिए हैं, जर्मन, चकोस्लोवाकिया और बलगारिया से हमने मशीनरी मंगाई है ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : स्पीकर साहब क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि उसमें जो रा– मैटीरियल इस्तेमाल किया जाएगा वह कहां–कहां से खरीदा जाएगा?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब अगर कटारिया साहब हमें मैटीरियल सप्लाई करने के लिए तैयार हैं तो हम इन से

खरीद लेंगे । वैसे गोट्स की और शीप्स की स्किन हमें भारत से जहां से भी मिलेगी हम खरीदने के लिए तैयार हैं?

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, क्या मच्छी महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस टैनरी में जो वस्तुएं बनेंगी वह हिन्दुस्तान में ही रहेंगीं या कि बाहर के मुल्कों में भी भेजी जाएंगी?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, इसमें 50 परसैन्ट जो लैदर तैयार होगा वह हम एक्सपोर्ट भी करेंगे ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस प्रोजैक्ट को कब शुरूकिया गया था और अब तक इस पर कितना पैसा खर्च किया गया है?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, इसका एग्रीमेंट 1974 में हुआ था और उसके बाद ही काम शुरू हो गया था और अब तक 80 परसैन्ट काम पूरा हो चुका है और 20 परसैन्ट काम बकाया रह गया है ।

Government Agriculture Farm

***1573. Shri Dhaja Ram :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the location of the Government Agriculture Farm in Tehsil Jind alongwith its total area in acres;

(b) the year-wise total amount of expenditure on

the said farm from 1972-73 to 1974-75; and

(c) the year-wise total amount of income derived from the farm mentioned in part (a) above from 1972-73 to 1974-75 ?

State Minister for Agriculture and Revenue (Chaudhri Surjit Singh Mann):

(a) A statement at Annexure '**I**', '**II**' and

(b) is laid on the table of the House.

(c)

ANNEXURE-I

(a) There is only one Government Agriculture Farm viz. Government Agriculture Farm Santokh Majra, in village Santokh Majra, Block Rajaund, at present, under the control of Agriculture Departmenti However another Government Agriculture Farm viz. Agriculture Farm Kishan Pura, in village Kishan Pura, Jind Block which was previously under the control of the Department, is now under the control of Haryana Seed Development Corporation since 12-9-1974.

Details regarding the location and area of these farms is as under:—

Sr. No.	Name of Farm	Location of Farm	Total Area (Acres)
I.	Govt. Agricultural Farm, Kishan	The Farm is situated near Kishan Pura	97.87

	Pura.	village on Jind, Rohtak Road, 7 K.M. from Jind.	
2.	Govt. Agricultural Farm Santokh Majra.	Situated on Pundri Rajaund Road 5 K.M. from Rajaund.	28.46

ANNEXURE—II

(b) Statement showing year-wise total amount of Expenditure incurred on the Farms in Tehsil Jind from 1972-73 to 1974-75.

Sr. No.	Name of Farm	Expenditure in Rupees		
		1972-73	1973-74	1974-75
1.	Govt. Agricultural Farm, Kisban Pura	85,772.00	91,042.55	1,47,354.67
2.	Govt. Agricultural Farm Santokh Majra	1,413.00	3,320.80	23,667.49

ANNEXURE—III

(c) Statement showing year-wise total amount of Income derived from the Farms of Tehsil Jind from 1972-73 to 1974-75.

Sr. No.	Name of Farm	Income derived in Rupees		
		1972-73	1973-74	1974-75
1.	Govt. Agricultural Farm Kishan Pura.	1,16,127.00	1,05,974.25	1,71,120.97
2.	Govt. Agricultural Farm Santokh Majra	6,984.00	12,227.62	14,754.85

श्री गौरी शंकर : स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि नरवाना तहसील में एक गांव अमृतसर है जहां पर एक सरकारी सीड फार्म है वहां से 1972–73, 1973–74 और 1974–75 में सरकार को कितनी आमदनी हुई है?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : स्पीकर साहब, सवाल तो तहसील जींद के बारे में था, नरवाना तहसील के बारे में नहीं था ।

ताराकिंत प्रश्न सं ० 1447

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी दल सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न सं० 1418

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी राम लाल वधवा! सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Construction of Nara Sub Drain

***1574. Shri Dhaja Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Nara Sub Drain passing through the villages Karasindhu, Tito Kheri of Jind District upto Indira Canal; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed ?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha) :

(a) Yes.

(b) The work is proposed to be completed by June, 1977 subject to availability of funds.

श्री धजा राम : स्पीकर साहब, अभी अभी मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में 1977 कहा और लास्ट ईयर इन्होंने 1978 कहा था इन दोनों में से कौन सी स्टेटमैंट ठीक है?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चटठा : स्पीकर साहब, लास्ट ईयर का मुझे याद नहीं है बहुत से सवाल आते हैं । हमारी स्कीम

यह थी कि पिछले साल इसको पूरा किया जाए लेकिन फण्डज की कमी की वजह से यह कार्य अगले साल में डाल दिया । 1977 में भी यह काम तब पूरा होगा जबकि हमारे पास फण्डज अवेलेबल होंगे ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि झज्जर तहसील में ड्रेन नम्बर आठ का फल्ड का पानी जिन–जिन गांवों में आता है क्या सरकार का उस पानी को. रोकने की तरफ भी कोई ध्यान है?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, ध्यान तो सरकार का सब तरफ है लेकिन इस वक्त पैसे की बहुत कमी है ।

श्री धज्जा राम : स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि टीटोखेडी चुटाली का जो इलाका है वहां इस वक्त कितनी जमीन पानी के नीचे है?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, इस साल उस एरिया में 50 एकड़ जमीन में फलड आया, जहां पानी काफी देर खड़ा रहा है जिस की वजह से केवल 15 एकड़ जमीन ऐसी है जहां पर कि जोहड बन गए हैं और अगर वहां पर ड्रेनज बन भी जाएं तो वह 15 एकड़ का एरिया फलड के पानी से नहीं बच सकेगा ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : स्पीकर साहब, तहसील झज्जर में चुडानी साल्हावास वगैरह गांव ऐसे हैं जहां पर कितना

ही पानी भरा खड़ा है क्या सरकार उस पानी के निकास का प्रबन्ध करेगी?

श्री अध्यक्ष : क्वैश्चन सारी स्टेट का नहीं है यह तो किसी खास लोकेलिटी से ताल्लुक रखता है । सप्लीमेंट्री अगर सारी स्टेट के बारे में पूछेंगे तोजवाब भी नहीं दे सकेगे ।

Application for Tubewell Connections

***1587. Chaudhri Phool Singh Kataria :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of applications received for tubewell connections during the period from 1st January, 1972 to 31st December, 1975, year-wise, division-wise, and sub-division-wise separately;

(b) the total number of applications lying pending as at present for tubewell connections division-wise and sub-division-wise, separately in the State;

(c) the total number of consumers who have purchased the material from their own resources for tubewell connections; and

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to adjust the cost of the material purchased by the consumers through their own resources against the electricity consumption bill, if so, by what time and if not, the reasons thereof ?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar

Harmohinder Singh Chatha) :

(a), (b), (c) & (d) A Statement containing the requisite information is laid on the table of the House

Statement

(a) The sub-division-wise information is not readily available as statistics in the Board are maintained division-wise.

The year-wise No. of applications received in each division from 1st January, 1972 0 31st December, 1975 is given at Annexure-I.

(b) The division wise No. of pending applications for tubewell connections as on 31st December, 1975 are given at Annexure-II.

(c) 670 only.

(d) Yes. The proposal is under consideration for adjusting the cost of material against the energy consumption bills of the consumers. The decision will be taken in a month or so.

ANNEXURE - I

Sr. No.	Division	No. of applications received during the year			
		1972	1973	1974	1975
1.	Ambala	252	104	79	103

2.	Shahabad	1123	805	723	335
3.	Jagadhri	929	708	611	224
4.	Kurukshetra	798	846	1066	366
5.	Pinjore	*—	39	220	167
6.	Karnal city	269	357	349	100
7.	Karnal suburban	972	949	1127	419
8.	Panipat city	280	373	478	155
9.	Panipat suburban	953	1264	1194	467
10.	Kaithal	1454	1191	1053	513
11.	Pehowa	152	936	921	*555*
12.	Faridabad	25	21	12	66
13.	Ballabgarh	L972	1000	974	395
14.	Palwal	781	643	695	271
15.	Delhi	168	215	175	126
16.	Sonepat	416	487	561	762
17.	Rewari	2177	2626	2560	861
18.	Gurgaon	797	1016	921	331
19.	Hissar	91	115	130	137

20.	Sirsa	991	584	470	293
21.	Bhiwani	219	252	298	194
22.	Fatehabad	879	980	668	236
23.	Hansi	247	313	193	121
24.	Rohtak	248	252	356	256
25.	Jhajjar	943	646	930	343
26.	Dadri	348	366	350	455
27.	Narnaul	1277	1529	1518	283
28	Jind	737	589	562	343
	Total:	18503	19206	19194	8877

*The Pinjore Division was created in October, 1973

ANNEXURE - II

Sr. No.	Division	No. of pending applications as on 31st December, 1975.
1.	Ambala	63
2.	Shahabad	538
3.	Jagadhri	390
4.	Kurukshetra	1040
5.	Pinjore	124
6.	Kamal city	369

7.	Karnal suburban	1087
8.	Panipat city	429
9.	Panipat suburban	1117
10.	Kaithal	1204
11.	Pehowa	807
12.	Delhi	99
13.	Gurgaon	950
14.	Rewari	2885
15.	Sonepat	428
16.	Faridabad	9
17.	Ballabgarh	647
18.	Palwal	382
19.	Hissar	67
20.	Fatehabad	535
21.	Sirsa	413
22.	Bhiwani	161
23.	Hansi	138
24.	Rohtak	85

25. Dadri	382
26. Jhajjar	777
27. Jind	354
28. Narnaul	1764
Total :	17244

चौधरी फूल सिंह कटारिया : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में यह तो बता दिया कि मैटीरियल खरीदा गया लेकिन डिवीजन और सब–डिवीजन वाइज कितना कितना मैटीरियल खरीदा गया इस बारे में नहीं बताया । क्या मिनिस्टर साहब यह सूचना भी देने की कृपा करेंगे कि कितने लोगों को कनैक्शन्ज दे दिए गए हे?

सरदार हरमोहिन्दर सिह चट्ठा : स्पीकर साहब, इनके सवाल के मुताबिक मैंने जवाब दे दिया है और जो सवाल यह अब पूछ रहे हैं यह इनके ओरिजीनल क्वैश्चन में नहीं था जहां तक उनको कनैकशन्ज देने का सवाल है जिन्होंने अपनेरिसोर्सिज से खुदमैटीरियल खरीदा वह केस कुल 670 थे जिन में से 8 की टैस्ट रिपोर्टस रहती थीं और इन 8 में से भी 6 को अब तक कनैक्शन दियाजा चुका है, दो बाकी रहते हैं उनको भी टैस्ट रिपोर्टस आने पर कनैक्शन दे दिया जाएगा ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : स्पीकर साहब, जो कनैक्शन्ज अभी तक पैंडिंग पड़े हुए हैं और उनकी टैस्ट रिपोर्टस भी आ गई हैं, उनको कब तक कनक्शन्ज दे दिए जाएंगे?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में पैंडिंग एप्लीकेशन्ज और पैंडिंग टैस्ट रिपोर्टस के बारे में कई बार जवाब दिया जा चुका है ।

श्री आम प्रकाश गर्ग : स्पीकर साहब, मेरी तो सप्लीमेंट्री यही है कि मैं ग्रेट आया हूं –(हंसी) – मुझे अपने सवाल पूछने की इजाजत चाहिए. आपकी बडी मेहरबानी. होगी ।

Construction of Roads

***1537. Shri Om Parkash Garg : Will** the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any proposal for the construction of link roads was formulated at the time of the creation of district Kurukshetra to connect villages with the district headquarters;

(b) if so, the names of the roads so proposed ; and

(c) :he time by which the roads mentioned in part (b) are likely to be constructed ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) :

(a) Yes. Proposals were formulated to connect 6 villages with the district headquarters.

(b) 1. Chika of Kaithal-Pehowa road via Kakewali (Section Machherheri to Niwatch).

(c) Kaithal to Kakewar (Section Kakewar to Kawartan).

(d) Surakhpur to Phuraula (Section Haripur to Sarai Sukhi).

(e) Kalalmajra to Sujri.

(f) Babain to Bhigrath Padlu.

6. Serhadda on Pundri-Rajaund road to Majra-Nadkalan (c) No definite date can be given as the construction of the roads will depend upon availability of funds.

(c) No definite date can be given as the construction of the roads will depend upon availability funds.

श्री ओम प्रकाश गर्ग : स्पीकर साहब, इसके बारे में पी डब्ल्यू डी. के एक्सीयन और डीसी. साहब ने स्कीम बनाई थी लेकिन पंडित जीने इधर–उधर की बात कह दी है । थानेसर भी तो कुरुक्षेत्र खिला में ही है ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, the question pertains to Kurukshetra District. About the roads he wanted to be connected, let him put a separate question.

श्री ओम प्रकाश गर्ग : स्पीकर साहब, इसके बारे में पी. डब्ल्यू.डी. के एक्सीयन और डीसी. साहब ने स्कीम बनाई थी लेकिन पंडित जीने इधर–उधर की बात कह दी है । थानेसर भी

तो कुरुक्षेत्र खिला में ही है ।

Mr. Speaker : Supplying of information is not a supplementry question.

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि हिसार में एक बाई पास बनना था वह कब तक बन जाएगा?

Pandit Chiranji Lal Sharma Sir, it does not arise out of this question.

कृषि तथा राजस्व राज्य मन्त्री (चौधरी सुरजीत सिंह मान) : स्पीकर साहब, क्योंकि मैंबर साहब लेट आए हैं इसलिए आप यह हमारे साथ ज्यादती करवा रहे हैं ।

Mr. Speaker : This will not form a precedent.

Subsidy for Fertilizers

***1538 Shri Om Parkash Garg :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether any subsidy was given for the fertilizers and if so the names of the fertilizers for which subsidy was given during the years 1974-75 and 1975-76 ;

(b) the rates of those fertilizers, to which subsidy was given and the rates of those fertilizers to which subsidy was not given separately during the years 1974-75and 1975-76 separately; and

(c) where there was some decrease in the rates of different fertilizers during the aforesaid period and if so, the

names of such fertilizers and the extent to which the rates decreased ?

State Minister for Agriculture and Revenue (Chaudhri Surjit Singh Mann):

(a) Yes, the cost of phosphatic fertilizers has been subsidised during Rabi 1975-76. The names of these fertilizers are **Di** Ammonium Phosphate, Super Phosphate and N.P.K. mixtures of grades 15: 15 :15, 15:15: 71, 10:26:26, 24:24:0, 12:32:16 and 14:36:12. No subsidy was given during 1974-75.

b) A statement at Annexures 'A' and '13' is laid on the tabe 'c' of the house.

ANNEXTURE 'A'

(b) No Subsidy was given during the year 1974-75 as clarified in part (a) of the question. The prices of fertilizers during 1975-76 on which subsidy has been allowed and those on which subsidy has not been allowed are as follows:—

On which subsidy allowed

(Rs.)

Name of fertilizer.	Retail Sale price per tonne		
	As on 1-10-75	As from 1-12-75	As from 4-12-75
Di Amm. Phosphate	2805	2600	-
Super Phosphate	1072		-

N. P. K.			
15:15:15	1700	1645	-
15:15:7½	1900	—	-
10:26:26	3177	—	2803
12:32:16	3266	—	3115
24 :24 :0	3114	—	2751
14:36:12	3919	—	-
On which Subsidy not allowed			
Calcium Amra.			
Nitrate 25%	1018	—	-
Calcium Amm.			
Nitrate 26%	1060	—	-
Amm. Sulphate	935	—	-
Urea 46%	1920	—	-
Muriate of			
Potash	1180	1095	—

ANNEXURE 'B'

(c) Yes. The prices of different fertilizers were reduced as follows : -

(Reduction and Retail rate per tonne in Rupees)

Sr. No.	Name of fertilizers	Sale rate before 18-7-75	From 18-7-75		From 1-12-1975		From 4-12-1975		From 1-1-1976	
			Reduction in rate	Resultant rate	Reduction in rate	Resultant rate.	Reduction in rate	Resultant rate.	Reduction in rate	Resultant rate.
1.	Calcium Amm. Nitrate. (CAN)									
(i)	25%	1097	79	1018	—	1018	—	1018	—	1018
(ii)	26%	1145	85	1060	—	1060	—	1060	—	1060
2.	Urea 46%									
(i)	Indigenous	2058	138	1920	—	1920	—	1920	—	1920
(ii)	Pool	2000	150	1850	—	1850	—	1850	—	1850

3.	Di Amm. Phosphate	3005	200	2805	205	2600	—	2600	—	2600
4.	Muriate of Potash	1230	50	1180	85	1095	—	1095	—	1095
5.	N.P.K. Mixtures									
	(i) 15:15:15	—	—	1700	55	1645	—	1645	—	1645
	(ii) 10:26:26	2236	—	3177	—	3177	374	2803	—	2803
	(iii) 12:32:16	2408	—	3266	—	3266	151	3115	—	3115
	(iv) 15:15:7½	1600	—	1900	--	1900	—	1900	60	1840
	(v) 24:24:0	—	—	3114	—	3114	363	2751	—	2751

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि फर्टीलाइजर की कीमतें बढ गई हैं तो क्या इसकी कीमत कम की जाएगी? पहले तो किसानों को सबसिडी दी जाती थी, क्या अब भी दी जाएगी?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : अब तक हम सबसिडी दे रहे हैं ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन पर सबसिडी नहीं दे रहे हें?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : इसके बारे में भी विचार करेंगे ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस वक्त कौन–कौन सी खाद पर सबसिडी दे रहे हें?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : अभी जवाब में मैंने बताया तो है ।

चौधरी मेहर चन्द : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इसकी क्या वजह है कि किसान को खाद और यूरिया पर सबसिडी क्यों नहीं दी जाती?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : जिस पर गवर्नमैट ने डिसाइड किया है उसी पर दे रहे हैं । जब गवर्नमैंट कोई और डिसाइड करेगी तो उसके मुताबिक करेंगे ।

चौधरी पीर चन्द : खाद की कीमत शायद बाहर से मंगवाने की वजह से बहुत ज्यादा है तो क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि हरियाणा में कोई खाद फैक्ट्री लगाने का विचार है?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : पानीपत में खाद फैक्ट्री लग रही है ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का: जैसे मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि अभी डिसाइड नहीं हुआ तो क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सरकार डिसीजन लेने की कोशिश करेगी या नहीं?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जैसे मुझे पता चला है कि भारत सरकार इस बात पर गम्भीरता के साथ विचार कर रही है कि हर प्रकार की फर्टीलाइजर की कीमत कम की जाए । – (तालियां) –

Mr. Speaker: Question Hour is over.

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Harijan Welfare Advisory Committee

***1446. Chaudhri Dal Singh : Will the Minister for Excise and**

Taxation be pleased to state—

(a) whether District Harijan Welfare Advisory Committees have been formed in the State for the year 1974-

75 ;

(b) if so, the District-wise number of applications received by the Committees as referred to in part (a) above for various schemes during the year 1974-75 ; and

(c) the District-wise amount distributed to Harijans on the recommendation of the said Committees under various welfare schemes during the year 1974-75 ?

Excise aud Taxatiou Miuister (Shri Shyam Chand)

(a) Yes. Sir.

(b) & (c) A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

Sr. No.	Name of District	Number of applications	Amount distributed
1.	Ambala	3,198	1,11,400
2.	Bhiwani	893	61,400
3.	Gurgaon	976	93.300
4.	Hissar	3,189	1,66,000
5.	Jind	503	68,400
6.	Karnal	1,158	75,200
7.	Rohtak	805	82,800
8.	Kurukshetra	780	75,200
9.	Nanaul	389	58,600
10.	Sonepat	442	50,800
	Total	12,333	8,43,000

ANNEXURE 'A'

Statement showing the district-wise number of applications received and the district-wise amount distributed to Harijans on the recommendation of the District Harijan Welfare Advisory Committees during the year 1974-75.

		Subsidy for Houses/Wells Scheme			Subsidy for purchase of Pigs.			Subsidy Castes of House for construction Scheduled		Interest for Free various trades (Non-Plan) Loans		
Sr. No.	Name of District	Number of applications received.	Amount distrib-uted.	Number of beneficiaries.	Number of applic-ations received.	Amount distrib u- ted.	Number of bene-ficiaries.	Number of appli-cations receive d	Amount distri bated.	Num-ber of benefi-ciaries.	Numer of app-lication s recei-ved.	Amount distribu-ted.	Numbe of bener ficiarie s-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Ambala	72	9,000/-	9	113	10,400 /-	13	985	66,000/-	33	429	26,000/-	37
2.	Bhiwani	37	5,0001-	5	109	6,400/-	8	505	36,000/-	18	242	14,000/-	18

3.	Gurgaon	53	8,000/-	8	60	8,800/-	11	547	56,000/-	28	316	21,000/-	31
4.	Hissar	139	14,000/-	14	230	16,000/-	20	1828	96,000/-	48	983	40,000/-	47
5.	Jind	27	6,000/-	6	71	6,400/	8	267	40,000/-	20	158	16,000/-	19
6.	Karnal	48	6,000/-	6	164	7,200/-	9	749	44,000/-	22	197	18,000/-	18
7.	Rohtak	20	7,000/-	7	105	8,800/-	11	411	48,000/-	24	253	20,000/-	24
8.	Kurukshetra	47	6,000/-	6	89	7,200/-	9	520	44,000/-	22	124	18,000/-	25
9.	Narnaul	20	5,000/-	5	21	5,600J-	7	250	34,000/-	17	118	14,000/-	13
10.	Sonepat	23	4,000/-	4	51	4,800/-	6	225	30,000/-	15	143	12,000/-	12
	Total :		70,000/-	70		81,600/-	102		4,94,000/-	247		1,99,000/-	244

Thermal Plaut Faridabad

***1417. Chaudhri Rain Lal Wadhwa:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total area of land acquired for setting up the Thermal Plant at Faridabad together with the total expenditure incurred on its acquisition and construction of building thereon and purchase installation of machinery therein ; and

(b) the date of commission of the Thermal Plant alongwith the total units of electricity supplied from it so far, up-to-date ?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) :

(क) मांगी गई सूचना इस प्रकार है :–

(1) अभिग्रहण भूमि का कुल क्षेत्रफल– 147 एकड़

(2) भूमि की अजीन इमारत तथा उपयन्त्र– 30.48 करोड़ रुपए

खरीदने व लगाने की 30–9–75 तक (लगभग) कुल व्यय की राशि

(ख) प्रथम यूनिट 18– 11–74 को चालू किया गया । इस यूनिट ने 31 अक्तुबर, 1975 तक 1,505. 40 लाख यूनिट सप्लाई किए हैं ।

Amouut Sauctioued aud distributed to Harij aus

***1447: Chaudhri Dal Siugh :** Wil the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some amount was sanctioned and distributed to Harijans under various welfare s themes during the year 1974-75 without keeping in view the recommendations of district Harij in Welfare Advisory Committees; and

(b) if so, the details of a nount as referred to in part (a) above ?

आबकारी तथा कराधान मन्त्री (श्री श्याम चन्द):

(ए) जी, नहीं ।

(बी) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Thermal Plaut at Pauipat

***1418 Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the area of land acquired for the installation of Thermal Plant at Panipat togetherwith the total amount of compensation paid for the land so acquired ;

(b) the expenditure incurred on the construction of building and purchase of machinery for the said Thermal Plant;

(c) the total strength of staff appointed category-wise for the said plant ; and

(d) the date when the work on the said plant was started together with the expected date of its completion ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दासगुप्त) :

(क) 1—अभिग्रहित भूमि का क्षेत्रफल — 1457 एकड़ 1 कनाल, 7 मरला । 2—मुआवजे को रूप में दी गई राशि 9—75 तक — 12.11 लाख रुपये ।

(ख) 30—9—75 तक कुल व्यय की राशि — 13. 94 करोड़ रुपये ।

(ग) 30—9—7 5 तक नियुक्त किये गये स्थाई कर्मचारियों की कुल संख्या जिसका वर्गानुसार ब्योरा 'परिशिष्ट नं0 1 में संलग्न है ।

(घ) प्लांट पर कार्य अप्रैल, 1973 में आरम्भ कर दिया था । प्रथम यूनिट दिसम्बर, 1977 तक द्वितीय यूनिट दिसम्बर, 1978 तक, पूरा होने की सम्भावना है ।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Sewerage System iu Gurgaou Jail

498. Chaudhri Devi Lal : Will the Minister for Local Government be pleased to state whether the work of sewerage system which was undertaken in Gurgaon Jail has been completed; if not, the time by -which this work is likely to be completed ?

स्थानीय शासन मंत्री (चौधरी पोखर राम गोदारा) :

(क) कार्य का 80 प्रतिशत भाग पूरा हो चुका है । बाकी कार्य इस वित्त वर्ष में पूरा हो जायेगा ।

Non Official and Official Jail Visitors

499. Chaudhri Devi Lal : Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) whether any non official Jail Visitor has visited Gurgaon Jail during the last 6 month ; and

(b) whether any official Jail Visitor has visited Gurgaon Jail during the period as referred to in part (a) above ?

परिवहन मत्री (श्री के ० एल० पोसवाल) :

(क) हां

(ख) हां

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

Finauce Minister (Shri Ram Saran Chand Mital) : Sir, I beg to lay on the Table the Supplementary Report of the

Comptroller and Auditor General of India for the year 1973-74 of the Government of Haryana.

I beg to lay on the Table the Election Commission of India notification No. S. 0. 738 (E), dated the 26th December, 1975, regarding amendments in Table B of the Delimitation Commission's Order No. 28 of 2nd December, 1974, as required under Section 11 (2) of the Delimitation Act. 1972.

I also beg to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Agricultural University, Hissar for the period from 1st July, 1972 to 30th June, 1973, as required under Section 39 (3) of the Haryana and Punjab Agricultural University Act, 1970.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का तृतीय प्रतिवेदन पेश करना

Rao Nihal Singh (Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes) : Sir, I beg to present the Third Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश करना

Shri Gulab Singh Jain (Chairman, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Shri Lalit Mohan, Editor and Shri Virender, MA.., Publisher and Printer of the Daily Newspaper "Vir Partap", Jullundur, for writing derogatory remarks against the House and its Members in its

issue dated the 10th January, 1975, under the Caption.
''चौधरी हरद्वारी लाल का कसूर क्या है? ''

I also move -

That the time for the presentation of the Final Report to the House be extended upto the 16th August, 1976.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the Final Report to the House be extended upto the 16th August, 1976.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the Final Report to the House be extended upto the 16th August, 1976.

,

The motion was carried.

Shri Gulab Singh Jain (Chairman, Committee of Previleges) : Sir **I** beg to present the third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against the Editor, Printer and Publisher of the Daily Newspaper "THE MOTHERLAND" for publishing news-item in its issue dated the 12th July, 1974, under the caption "Bansi Lal's throne rocked by three incidents."

I also beg to move—

That the time for the presentation of the Final

Report to the House be extended upto the 16th August, 1976.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the Final Report to the House be extended upto the 16th August, 1976.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the Final Report to the House be extended upto the 16th August, 1976.

The motion was carried.

Shri Gulab Singh Jain (Chairman, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Chaudhri Chand Ram, M.L.A. for making a statement and Shri Ramesh Chander, Printer, Editor and Publisher of the Daily News paper "PUNJAB KESARI"for publishing it as also the distorted versions of the proceedings of the House in its issue dated 1st December, 1974 under the caption. ''विपक्ष हरियाणा विधान सभा के शेष अधिवेशन का बाइकाट करेगा ''

I also beg to move—

That the time for the presentation of the Final Report to the House be extended upto the 16th August, 1976.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the Final Report to the House be extended upto the 16th August, 1976.

चौधरी रिजक राम (राई) : स्पीकर साहब, आपके द्वारा मैं मुख्यमन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि चौधरी चांद राम जेल में हैं और यह मालूम नहीं कि कितना अर्सा और वहां रहेंगे तो इन हालात में इस रिपोर्ट. को परसू किया जाना बहुत अच्छा मालूम नहीं देता । इसलिए मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर वे इसको ड्राप फरमा दें । तो ठीक है ।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दासगुप्त) : जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ा देंगे ।

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the Final Report to the House be extended upto the 16th August, 1976.

The motion was carried.

Excise & Taxatiou Miuister (Shri Shyam Chand) : Sir, I beg to move—

"Whereas a Committee called the "Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes" consisting of nine members was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 30th March, 1973 ; and

Whereas the term of the Committee was extended by one year upto 31st March, 1975, in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 18th January, 1974 ; and

Whereas the term of the Committee was further extended by another year upto 31st March, 1976, in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 15th January, 1975 ; and

Whereas it is expedient for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 30th March, 1973, the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also function for the year 1976-77 ;

Now, therefore, this House resolves that the term of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1976, be extended by a year i.e. upto 31st March, 1977, for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March, 1973."

Mr. Speaker : Motion moved—

"Whereas a Committee called the "Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes" consisting of nine member was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 30th March, 1973 ; and Whereas the term of the Committee was extended by one year upto 31st March, 1975, in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 18th January, 1974 ; and

Whereas the term of the Committee was further extended by another year upto 31st March, 1976, in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha,

in its sitting held on the 15th January, 1975 ; and

Whereas it is expedient for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 30th March, 1973 the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also function for the year 1976-77 ;

Now, therefore, this House resolves that the term of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1976, be extended by a year i.e. upto 31st March, 1977, for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March, 1973."

Mr. Speaker : Question is—

"Whereas a Committee called the "Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes" consisting of nine members was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 30th March, 1973 ; and

Whereas the term of the Committee was extended by one year upto 31st March, 1975, in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 18th January, 1974 ; and

Whereas the term of the. Committee was further extended by another year upto 31st March, 1976, in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 15th January, 1975 ; and

Whereas it is expedient for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 30th March, 1973, the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also function for the year 1976-77 ;

Now, therefore, this House resolves that the term of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1976 be extended by a year i.e. upto 31st March, 1977, for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March, 1973."

The motion was carried.

वर्ष 1976–77 के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी वर्तमान समिति की पदावधि बढ़ाना

Excise & Taxatiou Miuister (Shri Shyam Chand) : Sir, I beg to move—

"Whereas a Committee called the "Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes" consisting of nine members was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 30th March, 1973 ; and

Whereas the term of the Committee was extended by one year upto 31st March, 1975, in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on

the 18th January, 1974 ; and

Whereas the term of the Committee was further extended by another year upto 31st March, 1976, in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 15th January, 1975 ; and

Whereas it is expedient for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 30th March, 1973, the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also function for the year 1976-77 ;

Now, therefore, this House resolves that the term of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1976, be extended by a year i.e. upto 31st March, 1977, for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March, 1973."

Mr. Speaker : Motion moved—

"Whereas a Committee called the "Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes" consisting of nine member was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 30th March, 1973 ; and Whereas the term of the Committee was extended by one year upto 31st March, 1975, in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 18th January, 1974 ; and

Whereas the term of the Committee was further

extended by another year upto 31st March, 1976, in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 15th January, 1975 ; and

Whereas it is expedient for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 30th March, 1973 the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also function for the year 1976-77 ;

Now, therefore, this House resolves that the term of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1976, be extended by a year i.e. upto 31st March, 1977, for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March, 1973."

Mr. Speaker : Question is—

"Whereas a Committee called the "Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes" consisting of nine members was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 30th March, 1973 ; and

Whereas the term of the Committee was extended by one year upto 31st March, 1975, in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 18th January, 1974 ; and

Whereas the term of the. Committee was further extended by another year upto 31st March, 1976, in

pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 15th January, 1975 ; and

Whereas it is expedient for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 30th March, 1973, the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also function for the year 1976-77 ;

Now, therefore, this House resolves that the term of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1976 be extended by a year i.e. upto 31st March, 1977, for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March, 1973."

The motion was carried.

संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन सरकारी संकल्प

Agriculture Miuister (Col. Maha Singh) : Sir, I beg to move—

"WHEREAS this Assembly considers that in furtherance of the objectives set out in the National Forest Policy Resolution dated 12th May, 1952 of the Government of India, Ministry of Food and Agriculture, Department of Agriculture, Published in the Gazette of India dated 12th May, 1952, it is expedient to consolidate and amend the law relating to forests with a view to have a uniform law throughout India for the management and preservation of forests and forest wealth and for all matters connected

therewith or ancillary or incidental thereto ;

AND WHEREAS the subject matter of such a law is relatable mainly to entry 19 (Forests), and incidentally to certain other entries, of List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has no power to make laws for the States with respect to the matters aforesaid except as provided in articles 249 and 250 of the Constitution of. India ;

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the aforesaid matters should be regulated in the State of Haryana, by Parliament, by law ;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by clause (1) of article 252 of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves that all matters falling under entry 19 of List-II-State List of the Seventh Schedule to the Constitution of India and all matters connected therewith or ancilliary or incidental thereto should be regulated in the State of Haryana, by Parliament, by law.".

Mr. Speaker : Motion moved—

WHEREAS this Assembly considers that in furtherance of the objectives set out in the National Forest Policy Resolution dated 12th May, 1952 of the Governmenti of India, Ministry of Food and Agriculture, Department of Agriculture, published in the Gazette of India dated 12th May, 1952, it is expedient to consolidate and amend the law relating to forests with a view to have a uniform law

throughout India for the management and preservation of forests and forest wealth and for all matters connected therewith or ancilliary or incidental thereto ;

AND WHEREAS the subject matter of such a law is relatable mainly to entry 19 (Forests), and incidentally to certain other entries, of List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India ;

AND WHEREAS Parliament has no power to make laws for the States with respect to the matters aforesaid except as provided in articles 249 and 250 of the Constitution of India ;

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the aforesaid matters should be regulated in the State of Haryana, by Parliament, by law ;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by clause (1) of article. 252 of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves that all matters falling under entry 19 of List-II-State List of the Seventh Schedule to the Constitution of India and all matters connected therewith or anciliary or incidental thereto should be regulated in the State of Haryana, by Parliament, by law.".

चौधरी रिजक राम (राई) : स्पीकर साहब, यह प्रस्ताव सदन के सामने एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब की तरफ से पेश किया गया है ।. जहां तक जंगलात को तरक्की देने का सवाल है और प्रदेश की फारैस्ट वैल्थ को डिवैल्प करने का सवाल है इसमें किसी की दो राय नहीं हैं । हरियाणा में कितना ही ऐसा अलाका

है, जिसमें या तो ज्यादा तेज हवा आंधी चलने की वजह से या तेज नदी–नाले चलने की वजह– से कितनी ही जमीन आए साल खराब होती है । राजस्थान के साथ लगता हुआ हमारा अलाका आज वहा फारैस्ट न होने की वजह से खराब हो रहा है । इसलिए इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि जंगलात बढ़ाए जाएं । वित्त मन्त्री महोदय. ने अपने भाषण मे फरमाया थाकि हरियाणा में भूमि कम है जिस में जंगलात लगाए जा सकते हों । इसकी वजह यह है कि 1952 में जो नैशनल पालिसी बनी थी और उस . वक्त जो प्रस्ताव इस बारे में पास किया गया था, उसे हम लागू नहीं कर सके । जहां नैशनल पालिसी यह हैकि जितनी भी भूमि प्रान्त के अन्दर है, उसका बीस फीसदी जंगलात के अन्दर होना चाहिए, जैसे कि 1952 का हुस बारे में प्रस्ताव पास है वहां हमारे प्रान्त में मुश्किल से दो अढाई फीसदी भूमि पर जंगलात हैं । 1952 या 195० या इससे भी पहले की बात ले लो, जितने जंगलात हरियाणा में थे वह नौ तोड़ कर दिए गए, लैण्ड यूटिलाइजेशन ऐक्ट के तहत या दूसरे तरीकों से और जमीन को जेर काश्त लाया गया । आप करनाल कुरुक्षेत्र के जिलों को ले ले– और दूसरे अलाको को कई को ले लें, वहां पहले काफी जंगलात पैस्चर्ज और दख्तान होते थे, लेकिन सरकार ने एक नीति बनाई कि जितने जंगलात हैं, वे न रखे जाए और उनको नौ तोड़ किया जाए । आज उस सारी नीति को रिवर्स करने के लिए एक नैशनल पालिसी दूसरी अपनाई जा रही है और आज हमारे सामने इस बात की मांग आई है कि पार्लियामैंट को अख्तियार दे दिया जाए कि

वह इस प्रांत के लिए भी और दूसरे सारे देश के प्रान्तों के लिए एक कानून बनाए कि जिससे जंगलात डिवैल्प हो सकें ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप बेशक पार्लियामैंट को कानून बनाने के अख्तियारात देदें । इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । मैं पूछना चाहता हूं कि जिस कानून को बनाने के अख्तियारात आप केन्द्रीय सरकार को दे रहे हैं, उस पर जो कानून बनेगा, क्या आप उसको हरियाणा में लागू कर पाएंगे? आपके पास ऐसी भूमि ही नहीं जिस पर लागू कर सकें। नैशनल पालिसी जो 1952 में सारे देश के लिए बनी थी, उसको आज तक अमल में नहीं ला सके और जो अख्तियारात आप आगे के लिए केन्द्रीय सरकार को दे रहे हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं । यह तो महज अख्तियार देने वाली बात है, इसकी इम्पलीमैंटेशन नहीं हो सकती । सवाल हमारे सामने यह है कि वे साधन जिनके जरिए जंगलात बढ़ा सकें, उनको अपनाना चाहिए । मैं यह नहीं कहता कि जब से हरियाणा प्रान्त बना है, उस अर्से में इस तरफ कोई तरक्की नहीं हुई, तरक्की हुई है, जंगलात' के महकमे ने काफी काम किया है, दरख्त लगाए हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि अम्बाला जिले के कुछ इलाके, हिसार, भिवानी और महेन्द्रगढ़ के जिलों में जितना काम होना चाहिए, वह नहीं हुआ है । अगर हम दूसरे देशों से सबक लेते हैं, तो इस तरपय काफी काम कर सकते थे । जैसे इजराइल है, या और भी कई ऐसे देश हैं, इन देशों में हम से काफी ज्यादा रकबा रेगिस्तान है । वहां पर गवर्नमैंट ने ब्लाक्स बनाकर एयर

शैड्क बनाए हैं, ताकि विड रुक जाए । दरख्तों की कतारों की कतारें लगाई हैं । अब वहां पर विड इरोजन नहीं होता । लेकिन हमने यह नीति नहीं अपनाई । आज तक फारैस्ट डिपार्टमैंट इस तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाया है कि हम भी छोटे–छोटे ब्लाक्स बनाकर, दरख्त लगाकर विड इरोजन को रोकें । अम्बाला का सारा इलाका पानी से कट गया है । मोहिन्द्रगढ और गुडगावां जिलों में कितनी ही जमीन खराब हो गई है, लेकिन हम आज तक ऐसी कोई पालिसी नहीं बना सके, जिससे' इन इलाकोंकी हालत सुधर सके और इसे नुक्सान से बचा सकें । इसके इलावा दूसरी बात यह है कि आज हम दरख्त अन्धाधुन्ध लगाते चले जा रहे हैं । यह नहीं देखते कि इस इलाके में कौन कौन से दरख्त अच्छी तरह से कामयाब हो सकते हैं । आप हैरान होंगे कि लोहारू और भिवानी के इलाके में यूक्लिपट्स के दरख्त लगा रखे हैं । जो वाटर लाग्ड एरिया है, जहां ज्यादापानी है, वहां लगाना चाहिए । यूक्लिपट्स का दरख्त 400 या 500 क्यूसिक्स पानी जमीन सेनिकाल कर बाहर फैकता है, यह ऐसे इलाकों में लगाना चाहिए, जहां पानी ज्यादा है । लेकिन आपने लगाया वहां है, जहां रेगिस्तान है । आपकी नीति ऐसी नहीं है जो फायदेमन्द हो । रेगिस्तान कें इलाके में ऐसे दरख्त नगाने चाहिएं, जो हवा को रोक सकें । यूक्लिप्टस वहां लगाएं, जहां वाटर लाग्ड एरिया है, जहां नहरों के साधन हैं, टयूबवैल के साधन हैं वहां फ्रूट्स के वृक्ष लगाएं । मैं अंग्रेजों की बात बताता हूं, दिल्ली ब्रांच के साथ–साथ उन्होंने. मैंगो–ट्रीज लगाए थे । रैस्ट हाउस के आस पास और नहर के साथ–साथ

मैंगो–ट्रीज लगाए हैं, जिसके फल दूर–दूर तक भेजे जाते हैं । वे दरख्त बहुत पुराने हो गए हैं, इसलिए फूट नहींदेते और नए दरख्त बिल्कुल नहीं लगाए जाते इसका हशर यह होगा कि फलों की कमी हो जाएगी । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि रैजोल्यूशन आप बेशक पास कर दें इसकी इम्लीमैंटेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ..पास भ्रू मि नहीं है जिसमें इस कानून को इम्प्लीमैंटे किया जा सके । हां, वृक्ष लगाने से हम इस मसले को हल कर सकते हैं लेकिन ऐसी पालिसी हमें आपस में बैठकर बनानी चाहिए और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्ज देने चाहिए' । जहां हम और कामों के लिए पैसा लेते हैं वहां फारैस्ट की डिवैल्पमैंट करने के लिए भी प्रोविजन रखना चाहिए ताकि जमीन की तबाही कोरोक सकें ।

चौधरी शिव राम वर्मा (नीलोखेडी) : अध्यक्ष महोदय वनों के बारे कानून बनाने के अधिकार जो प्रान्तीय सरकार के पास थे, उनको पार्लियामैंट को सेपने के लिए जो प्रस्ताव विधान सभा के सामने आया हे इसके सम्बन्ध में चन्द बातें अर्ज करना चाहता हूं । मैं कहना चाहूंगा कि सब चीजों का केन्द्रीयकरण होना चाहिए या नहीं । वह देखने वाली बात है । केन्द्रीयकरण थोड़ा बहुत तो पहले हुआ था, उसके बाद दोबारा केन्द्रीयकरण की तरफ जाना, मैं समझता हूं तरक्की का रास्ता नहीं है । जो कानून प्रातीय विधान सभा बना सकती है, जो पावर विधान सभा के पास है, उसको पार्लियामैट को सौंप देना, मैं समझता हूं यह विचार

करने की बात है । हर प्रान्त की अलग–अलग स्थिति होती. है । कहीं मैदानो इलाका है, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं सेम है, कहीं कोई चीज है, कहीं कोई है, सब. की अलग–अलग स्थिति है । प्रान्तीय सरकार अपने इलाके की स्थिति को देखकर सोच–समझ कर कानून बना सकती है । केन्द्रीय सरकार अगर इतने बडे देश के लिए कानून बनाए, ऐसे देश के –लिए, जिसके प्रान्त के हालात अलग–अलग हों, तो मैं समझता हूं कि हर प्रान्त में एक ही ढंग से लागू होना बड़ा मुश्किल है । यदि बाद में तजरुबा होने के बाद अनुभव किपा कि यह गलती हुई थी, तो इसका कोई लाभ नहीं होगा । जिस इलाके में जैसे वृक्ष लगाने चाहिए, उसी प्रकार के लगाएं । जो वृक्ष उस भूमि पर होसकते हैं, वही लगानेचाहिए! और इसी से ज्यादा सफलता मिल सकती है । हुसके बारे में इस विधान सभा को विचार करना चाहिए कि हम अपने प्रान्त के अन्दर कौन–कौन से वृक्ष लगा सकते हैं । हमारे यहां जंगल का रकबा बहुत कम है । पहाड़ी इलाका भी ज्यादा नहीं है, जो हैं वे बहुत छोटे–छोटे हैं । हम अपने तौर पर यह सोचें कि कैसे ज्यादा सफलता से वन उगाए जा सकते हैं । गांव की पंचायतों के पास काफी रकबा ऐसा होता है, जिस पर वन लगाए जा सकते हैं । सरकार इस तरफ ध्यान दे । पंचायत समितियों को साथ लेकर वन–विभाग कोई न कोई ऐसी योजना बनाए, जिससे पंचायत के रकबे पर वन उगाए जा सकें । इससे पंचायतों की आमदनी भी बढ़ेगी और खर्चा कम होगा और इसके साथ ही साथ झगडे भी कम होंगे । अब जहां आमदनी ज्यादा होती है, वहां कम दिखा दी

जाती है, इस तरह से झगड़े बढ़ते हैं । जब वन विभाग इस जमीन को काबू कर लेगा, तो खर्च करने वाली बात पर भी काबू रहेगा और जो पंचायत की आमदनी है, वह सौलिड हो जाएगी । एक बार लगने के बाद वृक्ष अगर कट भी जाए, तब भी दोबारा फूट करते रहते हैं । जहां प्रान्त कोऔर लाभ होगा वहां इनसे यह लाभ भी होगा कि पंचायतों की हालत अच्छी हो जाएगी । जहां जंगलात ज्यादा होंगे वहां की जमीन भी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है । राजस्थान के साथ जो इलाके लगते हैं, उनमें जंगल लगाने के लिए स्कीम अलग ढंग से बनाई जा सकती है, जो छोटे–छोटे पहाड़ हैं, वहां अलग स्कीम बनाई जा सकती है और जो मैदानी इलाके हैं, वहां पंचायतों की जमीन भी आ जाती है, उनका सर्वे करके देख लिया जाए कि वहां कौन–कौन से वृक्ष लगाए जा सकते हैं । वे किसान जिन के पास ज्यादा भूमि है, उनके पास दरख्त लगाने की गुंजाइश होती है, उनके लिए. वन विभाग कोई न कोई योजना बना सकता है और किसान की तवज्जोह इस ओर दिला सकता है ।

लेकिन यदि हम केन्द्रीय सरकार को सारे अधिकार सौंप देंगे, तो केन्द्र की जिस ढंग से योजना बनेगी, वह हर प्रान्त में हर तरह से सफल होनी बड़ी मुश्किल है । इसलिए ई तो यह समझता हूं कि अपने प्रान्त की अलग योजना बना कर ही हमें यह काम करना चाहिए । अगर ऐसा किया जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा वृक्ष उग. सकते हैं, हमारे प्रान्त की दौलत बढ़ सकती है भूमि की

उपजाऊ शक्ति बढ़ सकती हे, जो हमारी जमीन कटती है और रेगिस्तान में दबती जातो है उसको बचाया जा सकता है । –जहां छोटे तौर पर योजना बना कर सफलता प्राप्त की जा सकती है, वहां सारे देशकीयोजना बना कर चरनने से मुझे ज्यादा सफलता प्राप्त होती दिखाई नहीं देती । इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय और सदन से निवेदन करूंगा कि जो इस विधान सभा के कानून बनाने के अधिकार हैं, वे अपने पास ही रखें, क्योंकि इस प्रदेश के लिए अपने आप योजना बनाकर हम वन विभाग को ज्यादा उन्नत करेंगे, हमारा लाभ भी ज्यादा होगा ।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव मेरे साथी कृषि मन्त्री ने अभी सदन के सामने प्रस्तुत किया है, यह केवल संविधान की औपचारिकता को निभाने के लिए किया है । इसमें कोई विशेष ऐसी बात नहीं है जिस पर मेरे काबिल दोस्त लम्बे चौडे भाषण झाडें । हमारी भारत सरकार एक यूनिफार्म पालिसी जंगलात के सम्बन्ध में तमाम हिन्दुस्तान के लिए बनाना चाहती है और हर प्रकार के प्रदेश उनकी दृष्टि में हैं । उनके सामने पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं और हरियाणा प्रदेश भी हैं । तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार सब प्रदेशों के हालात को नजर में रखते हुए यूक यूनिफार्म नीति जंगलात के बारे में बनाना चाहती है जो सारे हिन्दुस्तान मे लागू होगी। इसमें न अधिकारों के विकेन्द्रीयकरण का सवाल है और न केन्द्रीयकरण का प्रश्न है । इसके द्वारा हम कोई अपने अधिकारों को या प्रॉपर्टी को

सैन्टर को नहीं सौंप रहे हैं । चौधरी रिजक राम ने अपने लम्बे चौड़े ज्ञान से जंगलात के बारे में जो सुझाव दिए हैं, उनसे हम फायदा उठाना चाहते हैं । जहां तक जंगलात के महकमे का सवाल है, उन्होंने पिछले कुछ सालों में इस बात का पूरा प्रयत्न किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं! जहां भी जगह मिल जाए, सड़क के किनारे! नहर के किनारे । रेगिस्तानी इलाके में । हमारे प्रदेश में कुछ पहाड़ी इलाके भी हैं, जैसे मोरनी हिल्ज जो अम्बाला ' जिले में है । उन सब में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने का प्रयत्न किया गया है । वृक्ष किस जगह कैसे लगने चाहिएं । किन हालात में लगने चाहिएं, किस इलाके में कौन से उपयोगी हो सकते हैं, इस बात का पूरा विचार किया गया है । चौधरी रिजक राम ने इजरायल का प्रश्न भी उठाया कि इजरायल में बडे अच्छे ढंग से दरख्त लगाए जाते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि उनके साधन कितने लम्बे चौड़े हैं । उन्हें कितने साधन उपलब्ध हैं । उन्होने सारे रेगिस्तान को सप्रींकलर्ज इरीगेशन से कवर किया है । वहां तो फव्वारों से सिंचाई होती है । उनके साधन लम्बे चौड़े हैं । चाहते तो हम भी हैं, लेकिन हमारे साथ तो मोर वाली बात है । मोर जब नाचता है, तो बड़ा खुश होता है । लेकिन जब पैरों की तरफ देखता है, तो बड़ा दुखी होता है । चाहते हम भी हैं हरियाणा को इजरायल बनाना, लेकिन जब साधन देखते हैं, तो लिमिटेड हैं, सीमित हैं! तो हम मजबूर हो जाते हैं । खैर, हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे देशों की अच्छी चीजों को हम अपनाएं और उनसे फायदा उठाए । चौधरी रिजक राम जी

से मैं निवेदन करूंगा कि उनके जो इस बात पर सुझाव हैं, वे हमें दें । हमारे महकमा जंगलात को दें । जो उपयोगी सुझाव होंगे । उन पर हम अमल करेंगे, और उनसे फायदा उठाएंगे लेकिन जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है । मैं सदन से प्रार्थना करुंगा कि इसे स्वीकार कर लिया जाए! ताकि जंगलात के बारे में एक यूनिफार्म पालिसी सारे हिन्दुस्तान के लिए बन सके ।

Mr. Speaker : Question is—

That "WHEREAS this Assembly considers that in furtherance of the objectives set out in the National Forest Policy Resolution dated 12th May, 1952 of the Government of India, Ministry of Food and Agriculture, Department of Agriculture, published in the Gazette of India dated 12th May, 1952, it is expedient to consolidate and amend the law relating to forests th a view to have a uniform law throughout India for the management and preservation of forests and forest wealth and for all matters connected together with or ancilliary or incidental thereto ;

AND WHEREAS the subject matter of such a law is relatable mainly to entry 19 (Forests), and incidentally to certain other entries, of List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India ;

AND WHEREAS Parliament has no power to make laws for the States with respect to the matters aforesaid except as provided in articles 249 and 250 of the Constitution of India ;

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be

desirable that the aforesaid matters should be regulated in the State of Haryana, by Parliament, by law ;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by clause (1) of article 252 of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves that all matters falling under entry 19 of List-II-State List of the Seventh Schedule to the Constitution of India and all matters connected therewith or ancilliary or incidental thereto should be regulated in the State of Haryana, by Parliament, by law.".

The motion was carried.

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल 1976

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mital) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1976.

Sir, I also beg to move:—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Miuister :(Shri Ram Saran Chand Mital) Sir, I beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be passedi

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाबबैटरमेंट चार्जिज एण्ड एकरेज रेट्स

(हरियाणा रिपीलिग) बिल, 1976

State Minister for Irrigatiou and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha) : Sir, I beg to introduce the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Haryana Repealing) Bill, 1976.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Betterment Charges and Acreage

Rates (Haryana Repealing) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Haryana Repealing) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी रिजक राम (राई) स्पीकर साहब, इस बिल के द्वारा बेटरमैंट लेवी और एकरेज चार्जिज वगैरा जो सन 1954 केएक्ट से लागू थे, उनको खत्म करने के लिए तजवीज हुई है । वैसे इस बारे में तो किसी को मतभेद नहीं हो सकता कि यह बिल बहुत ही मुनासिब है, लेकिन हरियाणा में सन 1954 से एडवांस बैटरमैट लवी वगैरा वइल की जा रही थी और आजं तक जो खेद की बात है वह यह है कि सरकार को यह मालूम नहीं कि किस कदर रपया इसके द्वारा इकट्ठा किया गया है । ` पीकर साहब, आए साल एडवांस लैवी फार शडयूल बनाकर वसूल करती रही है और इसके बारे में पंजाब के किसानों की तरफ से भी और हरियाणा के किसानों की तरफ से भी हाईकोर्ट में रिट–पैटीशन हुई और हाईकोर्ट ने बैटरमैंट लैवी की वसूली को बन्द करने का फैसला दिया और कहा कि सरकार जब तक यह नहीं बताए, किसान को पूरी तरह वाजह न करे कि कितना रुपया उन्होंने इस मद के द्वारा वसूल करना है और कितना वह वसूल कर चुकी है उस वक्त तक यह वसूली नहीं की जा सकती । सरकार इस संशय में थी कि किस तरह से यह रुपया वसूल किया जाए? अब इस

बिल के द्वारा उस बैटरमैंट लैवी को समाप्त करने की तजवीज है, लेकिन साथ ही इस बिल के अन्दर जो आच्चौक्ट्स ऐंड रीजन्ज दिए हैं, उनमें लिखा है कि बैटरमैंट लैवी को हम खत्म कर रहे हैं लेकिन इसके साथ–साथ आबयाना भी हमें बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि किसान जो जिस पैदा करता है, उसकी माल बढ़ गई है, पहले वह जितना एक एकड़ में पैदा करता था, अब उससे कई गुणा ज्यादा पैदा करने लग गया है । जो भाव पहले फसल के मिलते थे, अब उससे ज्यादा मिलते हैं और जो नहरों के बनाने में या प्रोजैक्ट के पूर्ण करने में खर्चा है वह बहुत ज्यादा हो गया है । यह दलील इन उद्देश्यों और कारणों में दी गई है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि नहरें बनाने का जो खर्चा है, वह ज्यादा है, उसमें बढौत्तरी हुई है । इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि किसान की पैदावार में भी बढ़ौतरी हुई है, भाव भी उसको ज्यादा मिलते हैं, लेकिन दो बातों की तरफ मैं आपके द्वारा सदन में अर्ज करना चाहता हूं । जहां तक आबयाना बढ़ाने का सवाल है, उसको बढाने से पहले सरकार को और ज्यादा सोच–विचार करना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आब्जैक्ट्स ऐंड रीजन्ज में आबयाना बढ़ाने के बारे में तो नही है ।

चौधरी रिजक राम : आब्जैक्ट्स ऐंड रीजन्ज में दिया हुआ है ।

Mr. Speaker : Occupiers rates have been increased with effect from Kharif, 1975. It has already been increased.

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब बैटरमैंट लैवी को खत्म करके आकूपाइरज रेटस बढ़ा दिए हैं ।

श्री अध्यक्ष : वे तो पहले ही बढ चुके हैं ।

चौधरी रिजक राम : बिना विचार किए ही बढ़ा दिए हैं । (हंसी)

श्री अध्यक्ष : इस बिल में तो सिर्फ बैटरमैंट लैवी अबोलिश करने के बारे में है । अब सवाल तो यह है कि आप बैटरमैंट लैवी को अबोलिश करवाना चाहते हैं या अबोलिश नहीं करना चाहते हैं, इस बारे में आप बोल सकते हैं ।

चौधरी रिजक राम : चाहते तो हैं कि बैटरमैंट लैवी अबोलिश हो, लेकिन इन्होंने जो आबयाना बढ़ाया है, यह नहीं बढ़ना चाहिए था ।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : स्पीकर साहब, बोलने की कोई बात हो तो चौधरी साहब बाल लें, वरना बोलने की. कोई बात तो इस बिल में है नहीं ।

श्री अध्यक्षः जो चौधरी साहब बोल रहे हैं, वहरैलेवैन्ट भी नहीं है ।

चौधरी रिजक रामः अगर ज्यादा रैलेवैन्ट नहीं है, तो पांच मिनट में खत्म करता हूं । स्पीकर साहब मैं दो बातों के बारे में अर्ज करना चाहता हू ज्यादा तकसील मैं नहीं जाना चाहता ।

एक तो जो इनको यह ख्याल एं कि किसान की पैदावार बढी है, या उनको भाव अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन सरकार दूसरे पहलू को बिल्कुल नजर–अन्दाज कर रही है ।

Mr. Speaker Order please. I do not think I shall allow it now

श्री अमर सिंह : आन ए प्यायट आफ आर्डर सर । मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं । इसी सदन में चौधरी रिजक राम जी ने सिफारिश की थी और तब यह आबयाना बढा था, क्योंकि वे रिसोर्सिज कमेटी के चेयरमैन थे । अब बढ़ने के बाद ये कह रहे हैं कि आबयाना क्यों बढ़ाया गया?

Mr. Speaker Order please. I have not allowed him to speak on that subject.

चौधरी रिजक : राम जनाब स्पीकर साहब, चौधरी अमर सिंह जी ने जो बात कही है, वह 'बिल्कुल निराधार है । बाबू गुलाब सिंह जी ने और मैंने तो यह कहा था कि आबयाना बढ़ाने के लिए कोई माकूल वजोहात नहीं है । पता नहीं, इन्होंने कहां से देख लिया कि मैरी सिफारिश पर आबयाना बढ़ा है । मैंने तो यह कहा था कि कोई माक स वजोहात नहीं है । हमने तो बढाने की सिफारिश ही नहीं की । हमने तो बड़ी दलील दी, तर्क दिए, लेकिन सरकार नहीं मानी और सरकार ने अपनी मर्जी से बढ़ाया है । एक बात पर मैं अब भी कायम हूं और हाउस में कहने के लिए तैयार हूं, जो अपना यकीदा हो तो वह बात कहनी भी चाहिए चाहे

वह बाद में हक में न भी जाए । खर्चा अगर बढ़ा है, तो आबयाना बढाया जा सकता है, लेकिन आबयाना बढ़ाने के साथ वाल्यूम आफ वाटर भी बढ़ना चाहिए । अगर आबयाना वासलऊम आफ वाटर से लिंक नहीं करते हैं, तो यह गलत है । आप पानी लो सारी फसल में, सारे मौसम में एक देते हो और आबयाना बढ़ाते हो, सात या आठ गुना । इससे ज्यादा बे इन्साफी कोई हो नहीं सकती । पिछली बार यहां सैशन में आडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़ी गई थी ।

Mr. Speaker Order please No, I will not allow you to go to that extent.

चौधरी रिजक राम : आबयाना बढ़ाने का सवाल है, उसमें वाल्यूम आफ वाटर, सप्लाई आफ वाटर से लिंक होनी चाहिए । वैसे ही आबयाना बढ़ाते जाना और पानी न बढ़ाना कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : मैं इस पर कुछ अधिक बोलना नहीं चाहता । मैं केवल दो बातों के बारे में कहना चाहता हूं । ये जो वाटर रेट्स बढ़ाए गए हैं, ये नयी नहरें बनाने का खर्चा अलग है और जो हम इनवैस्टमैंट करते हैं, उस पर इंट्रैस्ट लगता है, वह भी अलग है । जो हमारे रिकरिंग एक्सपैंसिक हैं, साल में उससे भी दो करोड़ रुपया कम हमें वाटर रेट्स से मिलता है । चौधरी साहब के नालेज में यह बात है या नहीं, इसका मुझे पता नहीं, लेकिन जो हमारे रिकरिंग

एक्सपैंसिज हैं, साल में उनसे भी दो करोड़ रुपया हमें कम मिलता है । यह जो बिल आज सदन के सामने प्रस्तुत है, इसमें तो केवल बैटरमैंट लेवी को अबोलिश करने की बात है, जिससे शायद मेरे काबिल दोस्त भी एग्री करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : चौधरी अमर सिंह जी ने इररैलेवैन्ट मैटर, खामख्वाह इंट्रोडचूस कर दिया । That was neither a Point fo Order nor it was relevant to the issue.

चौधरी शिव राम वर्मा (नीलोखेडी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय यह जो बिल आया है, वैसे तो स्वागत के योग्य है कि बैटरमैंट चार्जिज खत्म किए जा रहे हैं लेकिन इसके साथ ही बिल में हुक अजीब सी बात हुई है कि सरकार ने पहले आबयाना से अब आबयाना तीगुना कर दिया है ।

Mr. Speaker Order please. Nothing about abiana

चौधरी शिव राम वर्मा: स्टेटमैंट आफ आब्जैक्ट ऐंड रीजन्ज में इसके बारे में चर्चा है ।

श्री अध्यक्ष : आपकी आगुइमैंट है कि आबयाना नहीं बढ़ना चाहिए । इसको खत्म कर देना चाहिए, लेकिन. आबयाना तो पहले ही बढ़ चुका है ।

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब, सरकार ने जो आबयाना बढ़ाया है उसकी चर्चा इस बिल के उद्देश्य और कारणों में है । इन्होंने तिगुना के करीब आबयाना बढ़ा दिया है । बैटरमैंट

चार्जिज तो सरकार ने फिर भी लगा दिए । जहां–जहां पानी का लाभ पहुंचा है, उन जमीनों पर बैटरमैंट चार्जिज वसूल करने की बात थी, लेकिन आबयाना सब के ऊपर बढ़ा दिया है, चाहे पानी पहले से कम मिलता है या ज्यादा मिलता है ।

Mr. Speaker : Order please. This is not relevant to the Bill. It is about the abolition of the betterment levy.

चौधरी शिव राम वर्मा : यह दलील दी है कि आबयाना बढ़ा दिया है, इसलिए हम इसको खत्म कर रहे हैं यह बात इसके साथ जुड़ी हुई है ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, बात यह हैकि गवर्नमैंट ने खुद ही यह डिस्कशन इनवाइट की है । ऐमज ऐंड आब्जवट्स में यह लिख दिया कि हम ने आबयाना बढा दिया है । (विस्त)

Mr . Speaker : Order please. You just read the objects and reasons of the Bill. This is not there from कि बढा दिया गया है Kharif, 1975.उसकी वजह से नहीं कर रहे हैं ।

चौधरी रिजक राम : वह तो ठीक है. ।

Mr. Speaker : In order to avoid hardship to the farmers, it has been decided to abolish the betterment charges.

चौधरी शिव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इससे हार्डशिप

तो पहले से भी ज्यादा हो गई है?– (विध्न) –

15.00 बजे

श्री बनारसी दास गुप्तः बैटरमैंट लैवी समाप्त करने से?

चौधरी शिव राम वर्मा : बैटरमैंट लैवी से नहीं, आबयाना बढ़ाने से । –(विघ्न) –

श्री बनारसी दास गुप्त : वह तो बढ चुका । उस पर तो आप बोल चुके । उस पर डिस्कशन हो चुकी ।

चौधरी शिव राम वर्मा : उस पर तो डिस्कशन हुई नहीं । –(विघन)–

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज–आर्डर प्लीज । या तो आप बिल के हक में बोलें या बिल के खिलाफ । आप बिल के हक में हैं या खिलाफ हैं?

चौधरी शिव राम वर्मा : यह तो मैंने खड़े होते ही कह दिया था कि यह जो बैटरमैंट चार्जिज समाप्त हो रहेहैं, यहतो एक अच्छी बात होने जा रही है, लेकिनजो आबयाना बढ़ाया है, यह बे–इन्साफी है । उस पर तो सरकार को दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि वह चीज तो सदन में आई नहीं । – (विघन) –

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर । स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि जो यह बिल है,

उसके एम्ज ऐंड आब्जैक्ट्स को लेकर और बिल के कन्टैन्टस को नजरअन्दाज करके जो वक्त जाया कर रहे हैं, क्या यह उचित है?

Mr. Speaker: Order please. I have already said that it is not relevant and he should speak on the Bill.

चौधरी शिव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये बैटरमैंट चार्जिज समाप्त कर रहे हैं । उसके साथ ही जो आबयाना इस फसल से बढ़ा रहे है इस पर भी सरकार पुनर्विचार करे, क्योंकि यह बहुत ज्यादा है । किसान को फसल से कुछ भी नहीं बच रहा है क्योंकि पानी पहले से भी कम मिलता है और आबयाना एकदम तिगुने रेट से है । (विध्न)...

श्री अध्यक्ष : वर्मा साहब को इतना तो ख्याल होना चाहिए कि इस बिल के द्वारा सरकार न अबयाना बढा सकती है और न घटा सकती है ।

चौधरी शिव राम वर्मा : मैं तो सरकार को सुझाव दे रहा हूं । जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है, यह तो एक अच्छी बात है ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Haryana Repealing) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Sub-clause-(2) of clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 aud 3

Mr. Speaker : Question is—

That clauses and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (1) of clause 1.

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

State Miuister for Irrigation aud Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha) : Sir, I beg to move—

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh" be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh" be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh", be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula, as amended, be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha) : Sir, I beg to move-

That the punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Haryana Repealing) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Haryana Repealing), Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Haryana Repealing) Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब अरबन इम्मूवेबल प्रोपर्टी टैक्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1 976

Excise and Taxation Minister (Shri Shyam Chand) : Sir, **I** beg to introduce the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, 1976,

Sir, **I** also beg to move—

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Sub-clause (2) of clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 and 3

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (1) of clause 1.

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Excise and Taxation Minister (Shri Shyam Chand) : Sir, **I** have to move a minor amendment.

Mr. Speaker : Yes.

Shri Shyam Chand : Sir, I beg to move—

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh", be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh", be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh", be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula, as amended, be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Excise and Taxation Minister (Shri Shyam Chand) Sir, I beg o move—

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट एण्ड वैलिडेशन) बिल, 1976

Agriculture Minister (Col. Maha Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1976.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

New Clause 2 A

Shri Girish Chander Joshi (Yamunanagar) : Sir, I beg to ask for leave that after clause 2 of the Bill, the following shall be inserted, namely :—

"2A . In Section 23 of the Principal Act,

(i) the words "or brought for processing" shall be omitted ; and

(ii) for the words "Provided that, except in case of Agricultural Produce brought for processing,—", the words "Provided that—," shall be substituted."

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to insert new clause 2A after clause 2.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to insert new clause 2A after clause 2.

The motion was carried

Shri Girish Chander Joshi : Sir, I beg to move—

That after douse 2 of the Bill, the following shall be

inserted, namely : "2A. In Section 23 of the Principal Act, —

(i) the words "or brought for processing" shall be omitted ; and

(ii) for the words "Provided that, except in case of Agricultural Produce brought for processing,—, "the words "Provided that—"shall be substituted."

Mr. Speaker : Motion moved—

That the clause be considered.

Mr. Speaker : Question is—

That the clause be considered.

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2A stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 3

Mr. Speaker ; Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Agriculture Minister (Col. Maha Singh) : Sir, I beg to move—

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh", be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh",be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh" be substituted,

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula, as amended, be the Enacting Formula of the B111.

The motion was carried

Title

Mr, Speaker : Question is—That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Agriculture Minister (Col. Maha Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment and Validation) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment and Vali dation) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment and Validation) Bill, as amended, be passed.

The motion was carried

दि पंजाब कोआमेटिव सोसाइटीज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1976

State Minister for Home and Health (Shrimati Sharda Rani) : Sir, I beg to introduce the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill, 1976.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at mice.

Mr. Speaker : Motion moved-

Tkat the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी रिजक राम (राई) : स्पीकर साहब, इस अमेंडिंग दिल के जरिए यह तजवीज है कि जिन सोसायटीज की इकट्ठा करने जा रहे हैँ और अगर किसी को कोई आब्जैक्शन है, तो उनको दो महीने की बजाय पन्द्रह दिन का टाईम दिया जाए । स्पीकर साहब, जहां तक इन छोटी सोसायटीज को मिलाकर बड़ी सोसायटीज बनाने की बात है, मैं मुख्य मन्त्री महोदय तथा सदन के दूसरे सदस्यों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने प्रान्त में इसका तजरुबा है और वह कामयाब नहीं हुआ । आजकल हम देखते हैंकि देहात और शहरों में बहुत सख्त पार्टीबाजी और किसी बात पर भी सहकारी समितियों के सदस्य मिलकर काम नहीं करते ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह सहकारी समितियों के द्वारा किसानों को और दूसरे लोगों को कर्जा देने की है । आज कमर्शियल वैक्स और प्राइवेट मनी लैण्डर्क में कम्पीटीशन है । सरकार प्राइवेट मनी लैण्डर्ज को खत्म करना चाहती है लेकिन जब तक सहकारी समितियों की. सर्विस बिल्कुल

टीक नहीं होगी, आप प्राइवेट मनी लैण्डर्ज को खत्म नहीं कर सकेंगे । आज देहात में और शहरों में जिन आदमियों को रुपया उधार लेने की आवश्यकता होती है, वे ज्यादातर यह चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी रुपया उधार मिल जाए और उसमें कोई अड़चन न आए । जहां तक सहकारी समितियों से रुपया उधार लेने का ताल्लुक है, उसमें देर लगनी लाजिमी है । इसलिए जरूरतमन्द आदमी प्राइवेट मनी लैण्डर्ज के पास जाता है । आज हम देखते हैं कि लोगों को बिनौले की जरूरत होती है और कई चीजों की आवश्यकता पड़ती 'है, तो मण्डियों में आढती लोग लोगों को उधार देते रहते हैं और फसल के मौके पर उनसे वसूल कर लेते हैं और जिन लोगों को रुपए की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, उनका रुपया आढती लोगों के पास जमा भी रहता है । आप इस अमेंडिंग बिल के जरिए छोटी सोसायटीज को बड़ी सोसायटीज बनाने चले हैं, वहां इनकी वर्किग को भी इम्प्रूव करें, उसी वक्त ही ये बडी सोसायटीज चल पाएगी । क्योंकि पिछला तजरुबा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि गांवों में और शहरों में भी पार्टीबाजी बड़ी सख्त है । अगर आह प्राइवेट' मनी लैण्डर्ज वाला तरीका अख्तियार कर ले ताकि सर्विस प्रौंम्ट हो सके तो के बड़ी सोसायटीज कामयाब हो सकती हैं । मेरा मुख्य मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि जब आप इन सो– सायटीज को बड़ी बनाने जा रहे हैं, तो इनकी वर्किग भी इम्प्रूव करें, ताकि प्रान्त में यह सफल हो सकें ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग (थानेसर) : आदरणीय स्पीकर साहब, जो बिल सदन के सामने है, इस पर हमारे चौधरी रिजक राम ने अपने विचार रखते हुए यह आशंका प्रकट की कि इन सोसायटीज को बड़ा करने से पार्टीबाजी बढेगी । चौधरी साहब को यह दु:ख होगा कि इनके गांव में जो सोसायटी होगी, वह इनके होल्ड में होगी और उसको बड़ा करने से इनके हाथ से यह निकल जाएगी । अगर पटवार सर्कल में या कई गांवों को मिलाकर एक सोसायटी बना दी जाएगी तो मेरा कहना यह है कि पार्टीबाजी बढने की बजाय खत्म होगी । चौधरी साहब काविचार हैकि जो हमारे तरीके की सोसायटीज हैं, वे नाकामयाब हैं और जो इनके तरीके की सोसायटीज हैं, वे कामयाब हैं । ऐसी बात नहीं है । सरकार जो नए तरीके की यानी कई– कई गांव की सोसायटीज बनाने चली है वे अच्छे तरीके से काम कर सकेंगीं और इस तरह से पार्टीबाजी भी खत्म हो जाएगी । मेरी सदन से यही दरखास्त है कि इसको बहेत अच्छे ढंग से पास करना चाहिए ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amedment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 and 3

Mr. Speaker : Question is--

That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was tarred

Enacting Formula

State Minister for Home and Health (Shrimati Shard a Rani) : **Sir, I beg to** move—

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-Seventh", be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh", be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh", be substituted.

The motion was carried

Mr. Speaker : Question is-

That it Enacting Formula, as amended, be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried,

State Minister for Home and Health (Shrimati Sharda Rani) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill, as amended be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill, as amended, be passed-

The motion was carried

दि हरियाणा म्युनिस्पिल (अमैंडमैंट) बिल, 1976

Local Government Minister (Chaudhri Pokhar Ram Godara) : Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1976.

I also beg to move—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

श्री० के० एन० गलाटी (फरीदाबाद) : माननीय स्पीकर साहब, यह जो अमैंडमैंट बिल इस हाउस में आया है,इसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है और इस नए साल में हरियाणा सरकार यह बिल लाई है तो मैं फख्र से कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता के लिए यह अमैंडमैंट बिल लाना जाज बहुत जरूरी था और आज ऐसा बिल लाकर हरयाणा सरकार ने हरियाणा की समस्त जनता के दिलों को जीत लिया है । क्योंकि इससे सिद्ध हो जाता है कि हाउस टैक्स और प्रापर्टी टैक्स एक हो गए तो यह बडी खुशी की बात है जो कि आजं हरियाणा सरकार ऐसी अमैंडमैंट लाकर ऐसा करने जा रही है । इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो फरीदाबाद काम्पलैक्स है, उसकी प्रोवीजन इसमें नहीं है, तो मेरी मुख्य मन्त्री महोदय व सम्बन्धित लोकल बाडीज के मिनिस्टर साहब से यह दरखास्त है कि वे बहुत जल्दी हीइस में इसका प्रोवेजन कर दें और 1978 में यह भी लागू हो । अतः मैं इस अमैंडमैंट की पुरजोर हिमायत करता हूं और अपना स्थान लेता दुआ स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill , be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now the House will take up the Bill, clause by clause.

Sub Clause (2) of Clause (1)

Mr Speaker Question is—

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (1) of clause 1.

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Local Government Minister (Chaudhri Pokhar Ram Godara) ; Sir I beg to move—

That for the words "Twenty-sixth",the words "Twenty-seventh" be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh" be substituted.

Mr. Speaker : Question is-

That for the word "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh" be substituted.

The motion was carried,

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting formula, as amended, be the Enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Tilte of the Bill.

The motion was carried.

Local Government Minister (Chaudhri Pokhar Ram Godara) : Sir, I beg to move—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, as amended, be passed.

The motion was carried

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1976

Excise and Taxation Minister (Shri Shyam Chand) : Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1976

I also beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment)

Bill, be taken into consideration at once.

श्री हरि सिंह (सम्भालखा) : स्पीकर साहब, आज यह जो विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1976 इस हाउस में पेश हुआ है, इसमें मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक व्यापारी की परिभाषा है, इसमें आगे चलकर यह लिखा गया है कि–

"Provided that a person or a member of his family who sells within the State exclusively the agricultural produce grown by himself or grown on any land in which he has an interest whether as owner, usufructuary, mortgagee, tenant or otherwise shall not be deemed to be a dealer "

तो इस डैफिनीशन से जो एग्रीकल्वरिस्ट हैं, वे भी इस कद में आ जाते हैं और फिर इस में यह कहा गया है कि अगर वह अपनी स्टेट में सेल करेगा तो वह डीलर नहीं माना जाएगा और अगर बातुर सेल करेगा तो वह भी डीलर बन जाएगा, मतलब यह कि उनको भी सेल्ज टैक्स नम्बर लेना पड़ेगा । तो इतना लम्बा चौड़ा जो हिसाब है, उसको व्यापारी ठीक नहीं रख पाता और वह इन की गिरफ्त में आ जाता है, तो यह एक जमीदार के लिए....

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री श्याम चन्द) : स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है, हम जमींदार को गिरफ्त में नहीं ले रहे हैं, हम तो उसे इस में से निकाल रहे हैं ।

श्री हरि सिंह : स्पीकर साहब, मेरा भी यही सब्जैक्ट है,

मेरा मतलब यह है कि एग्रीकल्चर और हार्टीकल्चर प्रोडयूस को आइटम नं. 25 से पहले ही एक्ट के अन्दर माफी थी तो फिर यह परिभाषा लाने की क्या जरूरत थी । इसकी इसलिए करूरत पड़ी कि सेल्ज टैक्स की आइटम नम्बर 25 में हार्टीकल्चर वाले अपनी प्रोडक्शन तो करते हैं हरियाणा में और दिल्ली के आसपास की नरेला जैसी मण्डियों में जाकर सेल करते थे और उन पर कोई टैक्स नहीं था और आफिसर्ज के पास भी कोई ऐसी पावर नहीं थी जो उनको पकड़ लाते । इसी चीज को मद्दे नजर रखते हुए यह डीलर की डैफिनेशन में ऐड किया गया है जो जमींदार हरियाणा स्टेट से बाहर अपनी एग्रीकल्चर प्रोडचूस को भेजेगा, उसको भी सेल्ज टैक्स नम्बर लेना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी क्योंकि यह तो पहले ही था । मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि वह छोटे–छोटे जमींदारों को खामखाह की परेशानी में न डाले । इसके इलावा सैक्शन 9 में अमैंडमैंट लाई जा रही है, वह यह है कि जो भी व्यापारी या मैनुफैक्चरर हरियाणा में रजिस्टर्ड हैं, यानी उसके पास सेल्ज टैक्स नम्बर है और व्यापार करने के लिए वह कोई भी माल खरीदेगा तो उसके ऊपर कोई सेल्ज टैक्स नहीं है और जब वह माल को आगे भेजेगा, तो उसे सेल्ज टैक्स देना पड़ता है और अब सैक्शन 9 में यह अमैंडमैंट लाई गई है कि कोई भी आदमी माल खरीदकर आउट साइड इण्डिया भेजेगा तो परचेज वैल्यू पर टैक्स लगेगा, जो कि पहले नहीं लगता था । इससे क्या असर पड़ेगा । एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी, जिससे हमारे देश को मुद्रा का फर्क पड़ेगा

। मैं समझता हूं कि यह अच्छा कदम नहीं है । जो एक्सपोर्ट करते हैं उनकी परचेज कीमत ज्यादा हो जाएगी, तो उसका उठान भी कम हो जाएगा । पहले यह था कि मैनुफैक्चरर जब माल खरीदता था तो वह सेल्ज टैक्स नम्बर दे देता था और उसे माल खरीदने पर सेल्ज टेक्स नहीं देना पड़ता था, अब यह कर दिया है कि वह सेल्ज टैक्स नम्बर पर खरीदेगा और अगर आउट साइड इण्डिया भेजेगा तो उसकी परचेज वैल्यू पर टैक्स पड़ेगा । इससे मैं समझता हूं कि उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन बढेगी और उसको फारेन एक्सचेंज पर भी असर पड़ेगा तो यह भी अच्छा कदम नहीं है । इसके अलावा सैक्शन 44 में अमैंडमैंट की गई है जो कि आनैस्ट टैक्स पेयर के लिए एक हैरासमैंट होगी । फर्ज करो कि कोई सेल्ज टैक्स अफसर किसी व्यापारी पर 50 हजार रुपए टैक्स लगा देता है और इतना टैक्स भरने की उसकी हिम्मत नहीं है तो अब जो नया टैक्स देना है, उसके बारे में यह है कि जब तक वह पैसा नहीं भरेगा, तब तक उसकी अपील सुनी नहीं जाएगी । पहले यह होता था कि अपील सुन लेते थे और अगर उसकी तरफ टैक्स निकलता था तो बाद में जमा करवा सकता था । लेकिन अब जो फैसला हो रहा है, उसमें पहले टैक्स भरना होगा, बाद में अपील की जा सकती है । अब फर्क करो कि जिसी आदमी ने टैक्स के पैसे तो भर दिए और बाद में अपील में आर्डर सैट–असाइड हो जाते हैं, तो उसे रिफंड लेना पड़ेगा । सैक्शन 44 में यह भी अमैंडमैंट है कि कमिश्नर चाहे, तो उसे विद– हैल्ड भी कर सकता है और कमिश्नर का फैसला फाइनल होगा, तो यह अच्छा नहीं

किया है । उसके रिफण्ड को विद–हैल्ड किया जा रहा है और वह अपील में जा सकता है, यहां तक तो ठीक था, लेकिन अपील का फैसला होने के बाद भी विद–हैल्ड किया जाए, यह ठीक नहीं है । ठीक है कि कोई खराब किस्म का व्यापारी है, उसका तो विदहैल्ड कर लो, लेकिन सभी को इसमें नहीं लेना चाहिए । दूसरी बात यह हैकि अगर उसको रिफण्ड मिल भी गया, तो जितनी देर उसकी रकम विद–हैल्ड रही, उस समय का उसे इंट्रैस्ट भी नहीं मिलेगा, तो इस एक्ट के जरिए सब से ज्यदा आनैस्ट टैक्स पेयर्ज के साथ ज्यादती होगी इसलिए इस पर अगर सरकार गौर फरमा ले तो बड़ा मशकूर हूंगा ।

Excise and Taxation Minister (Shri Shyam Chand): Mr. Speaker, Sir, in the 'dealer's definition we have excluded the farmer from the grip of this law. I think there was some confusion with the Hon. Member.

Secondly as far as the tax on the export is concerned there are two verdicts of the Supreme Court—one is Mohd. Sarrujudin Vs. State of Orissa; and the second is, M/s Nay. Rajasthan Minerals Vs. Union of India. In both the verdicts, the Supreme Court has held that on the last sale of the goods when it is meant for export then only it will be exempt from the tax. In the intervening sales from first to the last sale, sales tax is leviable. This is the Judgement of the Supreme Court. We are implementing the decision of the Supreme Court. There is nothing new that we are going to do about it. It will not affect our exports rather it will increase the revenues of the State.

Thirdly as far as interest on the refund is concerned there is hardly any case in the State. For further if any occasion arises it is not meant for that. We have not done any case so far in the State of Haryana and I don't think there will be any opportunity of doing it. Now I will request that the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2 to 12 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Excise and Taxation Minister (Shri Shyam Chand) : Sir, I beg to move—

That for the words "Twenty-sixth" the words

"Twenty-seventh" be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That for the words "Twenty-sixth", The words "Twenty-seventh" be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That for the words "Twenty-sixth" the words"Twenty-seventh" be substituted,

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting formula, as amended, be the Enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Excise & Taxation Minister (Shri Shyam Chand) ; Sir, I beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, as amended be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा सीलिंग आन लैन्ड होल्डिगज (अमैंडमैटं) बिल,1976

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) Sir, I beg to introducethe Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, 1976 . **I** also beg to move—

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी रिजक राम (राई) : स्पीकर साहब, यह बिल जो कि हरियाणा लैण्ड सीलिंग ऐक्ट में तरमीम के लिए लाया गया है इसके बारे गे मैं अपने विचार. रखना चाहता हूं । कोशिश यह की गई है कि इस ऐक्ट के सम्बन्ध में जो हाई कोर्ट के फैसले आए और उन्हेंने जो त्रुटियां बताई, वे. दूर कर दी जाएं । लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि इस अमैंडिंग बिल से उस ऐक्ट में जो कमियां

रह गई थीं, वे दूर नहीं हो सकतीं । वह ऐक्ट और उस ऐक्ट में अब ये लाई गई तरमीमें इस ढंग से की गई हैं कि अव्वल तो इनका समझना ही मुश्किल है, बहुत ही कठिनाई से इनको समझा जा सकता है दूसरे यह कि जहां एक कमी पूरी करने की कोशिश की गई हैं, वहां उस में और कमियां, त्रुटियां और पेचीदगियां पैदा कर दी गई हैं । मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए कुछ बातों के बारे में जिक्र करना चाहता हूं । स्पीकर साहब, इस तरमीमी बिल के जरिए पहले जो ऐक्ट में फैमिली की डैफिनिशन थी उस में तरमीम कई? गई है । जहां पहले फैमिली की डैफिनीशन यह थी "Family means husband, wife and their minor children or any one or more of them. वहां उसमें अब एक की बजाय दो का शब्द जोड़ दिया गया है और उसके साथ–साथ एक्सप्लेनेशन में भी शब्द बढ़ाए गए हैं । आप मुलाहिजा फरमाएं कि एक्सप्लेनेशन में अब यह दिया गया है कि Child shall include - child of the husband from his deceased or diverced wife and living with him. इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है कि वह बच्चा अपने मां–बाप या दोनों के पास रहना चाहिए तब ही वह फैमिली में शुमार होगा । इसका मतलब है कि अगर एक नाबालिग बच्चा अपने मामूं या और किसी रिश्तेदार के पास वहां पढने की वजह से या और किसी वजह से रहता है, तो वह फैमिली में नहीं आएगा । यह बात भी उनको देखने की जरूरत है कि यह क्या प्रोविजन है । इससे आगे नम्बर दो पर कहते हैं कि Child hall include child of the wife from her deceased or divorced husband and living

with her डीसीजड हसबैडं की जो महिला होती है, उसे इस बिल में जो अब सदन के सामने है, वाइफ दिखाया गया है, लेकिन आप सब जानते हैं कि पति के मरने के बाद पत्नी बेवा या विडो कहलाती है, लेकिन यह उसे वाइफ ऑफ डिसीजड हसबैडं कहते हैं यानी हसबैडं के मरने के बाद भी उसे वाइफ ही लिखा है । अब पता नहीं मेरी समझ में कमी है या इस बिल की ड्राफटिंग में गलती रह गई है जो पति के मरने के बाद भी उसे वाइफ कहा गया है । इससे आगे नम्बर तीन पर लिखा है.

For evaluating the land of any person at any time under this Act, the land owned by him immediately before the commencement of this Act as well as the land acquired by him after such commencement by inheritance, bequest or gift from a person to whom he is an heir shall be evaluated as if the evaluation was being made on the appointed day and the land acquired by him after the appointed day in any other manner shall be evaluated as if the evaluation was being math on the date of such acquisition.

यह बात पहली दफा सुनी है कि किसी पति के जिम्मे यह लग जाए कि उसका चाइल्ड इल्लैजटिमेट है । पता नहीं कैसे उसे आइडैटीफाई करेंगे और वह बच्चा कैसे किसी पति का होते हुए इल्लैजिटिमेट बन जाएगा । यह तो सुना था कि किसी औरत के इल्लैजिटिगेट बच्चा हो सकता है लेकिन किसी पति का भी इल्लैजिटिमेट बच्चा हो सारुता है, यह बात पहली दफा सुनी है । यह तो नई बात है जो पहले नहीं सुनी थी– (बिहन)–फिर आप

इस बिल की सैक्शन 3 की सब–सैक्शन 6 को मुलाहिजा फरमाएं. चाहते हैं, वह पूरे हो सकेंगे । स्पीकर साहब यह जो मेन ऐक्ट बना और उसके बारे में यह तरमीमी बिल आया है, इनका एक उद्देश्य तो यह है कि प्रोडक्शन में कमी न हो दूसरा यह है कि सोशल जस्टिस हो, यानी जिनके पास रोटी कमाने के साधन नहीं हैं भूमि नहीं हैं, उनको हम भूमि देकर इस काबिल बना दें कि वे पैदा करके रोटी खा सकें । तो क्या ये दोनों उद्देश्य इन से पूरे हो सकते हैं? आप देखेंगे कि कोई भी पर्पज इन से पूरा नहीं हो सकता । अव्वल तो यह जो तरमीमें लाए हैं, और जो सैंक्शन्ज मौजूद हें उनके द्वारा इस ढंग से कानून बनाया जा रहा है कि जो भूमि पुराने ऐक्ट, मेन ऐक्ट के तहत सरप्लस हुई थी, वह खत्म हो जाएगी और इस तरमीमी बिल के जरिए सरप्लस जमीन निकलने की सम्भावना नहीं है । आप देखें प्राइमरी यूनिट जो रखा है, उसमें आप मुलाहिजा फरमाएं यह रखा है कि हसबैडं वाइफ और तीन बच्चे । इनके बाद अगर पांच से ज्यादा नाबालिग बच्चे हैं, तो उनको एक बटा पांच के हिसाब से और जमीन मिलेगी और अगर उस फैमिली में तीन या चार बच्चे अडल्ट हैं, तो उनको उसी हिसाब से सैप्रेट यूनिट के हिसाब से और जमीन मिलेगी ।

आप देखें, जहां बारानी भूमि है, वहां 21.8 हैक्टेयर तक मिल सकती है । फैमिली यूनिट के लिए प्राइमरी यूनिट के लिए 21.8 हैक्टेयर प्रोवाइड किया है । अगर ज्यादा बच्चे हों, तो 1/5 हिस्सा और बढ्ता चला जाएगा और यह 30 हैक्टेयर भी हो सकता

है, 35 भी हो सकता है, और 50 भी हो सकता है । यूक फैमिली में चार मैंबर नौजवान हों और चारों के चारों लड़के हों, तो उनको उसी हिसाब से 25 या 30 हैक्टेयर भूमि मिलेगी, जो चित्र 100 हैक्टेयर तक भी जा सदति'' है, इससे ऊरर भी जा सकती है । जो 1953 का पडुला एक्ट था, उसनें स्पीकर साहब इतनी. बात थो कि या तो 30 स्टैण्डर्ड एकड़ या 50 स्टैण्डर्ट एकड़ इवैक्यू लैण्ड थी वहं 60 या 100 आर्डिनरी एकड़ बनती थी । अब 100 से ज्यादा भी जा सकती है, 150 तक भी जा सजती है । स्पीकर साहब, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा । इस सिलसिले में रेवैन्यू मिनिस्टर साहब ने खुद अपनी स्पीच में कहा । मिनिस्टर साहब 1972 में, बिल पास करते वक्त स्पीच दे रहे थे, वह स्पीच मैं उन के नोटिस में लाना चाहता हूं ।

पडिंत चिरंजी लाल शर्माः 1972 में जो बिल पास हुआ था, उस पर मेरो कोई तक– रीर नहीं हुई थी– (व्यवधान) –

चौधरी रिजक रामः नहीं होगी., तो इनकार कर दीजिए ।

Mr. Speaker : you are successor of somebody.

चौधरी रिजक रामः 4 अक्तूबर, 1972 को हरियाणा विधान सभा की डिबेट सफा 60 से स्पीच शुरु होती है । एज ए मैंबर जो आपने स्पीच दी है, उसका हवाला दे रहा हूं । ऐज ए मैंबर जो स्पीच दी है, उसको एज ए मिनिस्टर नहीं बदलना चाहिए

। उस वक्त आप यह समझ रहे थे कि यह बिल नाकाबले अमल है । ये अपनी स्पीच में कहते हैं.

Pandit Chiranji L al Sharma : Mr . Speaker, Sir, I was not inducted in the Cabinet on the 8th October, 1972 and **I** was not **a** Minister when this Bill was introduced and passed.

चौधरी रिजक राम : इन्होंने 4 अक्तुबर, 1972 की डिबेट में भाषण दिया है–

''मैं डो लफजों 'अवेलेबल' और 'सूटेबिलिटी' पर अर्ज कन्हैया । इसके साथ–साथ, यह जो डैफिनेशन की क्लाज 3 (1) है, इसमें लैड को डिफाइन किया गया है । बड़ी खूबसूरती के साथ डिफाइन किया गया है । मैं आप से अर्ज करुं कि बिल के ऑब्जैक्ट्स में बतलाया है कि इस बिल से जो लैण्ड अवेलेबल होगी, वह ज्यादा होगी या कम होगी, यह अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि इस लैड रिफार्म बिल के जरिए लैड पर सीलिंग से पहले सारे कन्ट्री में हा–हाकार मचा हुआ है । जमींदारों के दिमागोंपर यह इम्प्रैशन बैठा हुआ है कि जमीन ली जाएगी । जमींदार को जमीन बड़ी प्यारी है जैसे हमें अपना बेटा प्यारा है । इस बिल के आने से ऐसा माहौल हो गया है, जिससे जमींदार समझने लगा है कि उसकी जमीन खुसने वाली है, छिनने वाली है, वह बेचौन रहने लगा । दूसरी तरफ सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी का नारा है । क्या इस विल से वाकई जमीन खत्म हो

रही है? मैं कहता हूं कि 'नो' । स्पीकर साहब, अगर आप पिछला ला देखें, तो उसमें परमिसिबल एरिया 30 स्टैण्डर्ड एकड है and in the case of displaced persons it is 50 standard acres. लेकिन यहां 30 स्टैण्डर्ड एकड़ वाली बात नहीं, 50 स्टैण्डर्ड एकड़ वाली बात नहीं, यहां परमिसिबल एरिया क्लाज 4 में डिफाइन किया गया है ।

स्पीकर साहब, अब तो लिमिटलैस हो गई है, पहले 30 स्टैण्डर्ड एकड़ लिमिट थी । एक फैमिली यूनिट, जिसमें तीन नाबालिग बच्चे और मां–बाप हैं, इन पांचों को अब 18 एकड़ जमीन छोड़ी है । अगर एक आदमी के पास तीन, चार, पांच और छः नाबालिग बच्चे हैं और दो, तीन बालिग हैं, तो आप अन्दाजा लगाएं कि हशर क्या होगा । 18 एकड़ तो फैमिली यूनिट को मिलेगी, जिसमें तीन नाबालिग बच्चे हैं । तीन नाबालिग बच्चों की जमीन 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई करके इस 18 एकड़ में जमा करो । दूसरी तरफ फर्ज किया 3 बालिग बच्चे हैं या चार हैं, उन को 18 X 4 = 72 एकड़ जमीन हो गई । मेरा ख्याल है, जिससे जमींदार परेशान है, उसको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यह बिल तो उनकी मदद करता है । अब 30 स्टैण्डर्ड एकड़ की बजाय 100 एकड़ तक लिमिट पहुंच गई ।''

स्पीकर साहब, उस वक्त यह इनका भाषण था और अब इसमें हाउस के सामने संशोधन ला रहे हैं

श्री अध्यक्षः क्या यह सोनीपत का झगड़ा है?

चौधरी रिजक राम : झगड़ा तो सारे प्रान्त का है । इससे जो सर्पलस एरियाज हैं प्रमिसिबल एरियाज हैं, उनमें बढौत्तरी का सवाल नहीं है, बल्कि कभी आएगी । अब जो नई क्लाज इंट्रोडयूस की है, उससे बडाई जा सकती है । स्पीकर साहब, जहां तरमीम करनी चाहिए, उसको सरकार ने छेडा नहीं । क्लाज 4 के मुताबिक 100 एकड़ से 150 एकड़ तक एक–एक कुनबे के पास जमीन रह सकती है और इससे पहले 30, 80 या 100 एकड से ज्यादा नहीं हो सकती । इसके इलावा एक और बात थी । 1953 के ऐक्ट में दफा 6 के द्वारा अगर किसी ने 15 अगस्त, 1947 के बाद, बगैर रुपए लिए, मैलाफाइडी को ट्रांसफर किया तो वह नाजायज थी, वह सर्पलस एरिया को इफैक्ट नहीं करती थी । इसके साथ ही क्लाज 18 के तहत 2 फरवरी, 1955 के बाद जितनी ट्रांसिंफर थी, सिवाय इसके कि सरकार उनको एक्वायर करे या इनहैरिटैंस के जरिए ट्रांसफर हुई थी, बाकी जितनी ट्रांसफर थी, वे नाजायज थीं, वे सर्पलस एरिया को इफैक्ट नहीं करती थीं, लेकिन अब इस ऐक्ट में दफा 8 की तरफ मैं मुलाहिजा दिलाऊगा कि इस में अप्वायंटड–डे क्या है । अप्यायंटड–डे रखा है, जुलाई, 1958 । जुलाई 1958 तक जितनी भी ट्रांसफर होगी, वह नाजायज होंगी..

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : अप्वायंटड–डे 24 जनवरी, 1971 होगी– (व्यवधान)

चौधरी रिजक राम : सैक्शन 8 में लिखा है –

"Save in the case of land acquired by the Union Government or the State Government under any law for the time being in force or by a tenant under the Pepsu law or the Punjab law or by an heir by inheritance, no transfer of land in excess of : —

(a) the permissible area under the Pepsu law or the Punjab law after the appointed day of July, 1958."

यानी उसके बाद जो भी ट्रांसफर होगी, वह सर्पलस एरिए को इफैक्ट नहीं करेगी । पुराने एक्ट में 15 अगस्त, 1947 की तारीख रखी थी और फरवरी, 1955 की तारीख रखी हुई थी, कि उसके बाद जितनी भी ट्रांसफर्ज हैं, वे नाजायज हैं और सर्पलस एरिया को इफैक्ट नहीं करेगी । अब इस एक्ट में जुलाई, 1958 कर रखा है कि इसके बाद की जो ट्रांसफर हैं, वह इफैक्ट नहीं करेगी । आप अगला प्रोवीजन पढ़िए–

"The permissible area under this Act except a bonafide transfer after the appointed day. No transfer of land in excess of the permissible area under this Act except a bonafide transfer after the appointed day."

और भी कई बातें हो सकती हैं । कोई मालिक 24 जनवरी, 1971 के बाद यदि बोनाफाइडी ट्रांसफर कर दे तो वह भी जायज । तो आप बताएं कि आप घटाना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो, हुस ऐक्ट के जरिए?

16.00 बजे

परिवहन मत्री (श्री के ०एल०पोसवाल) : आप क्या चाहते हो?

चौधरी रिजक राम : मैं यह चाहता हूं...

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : आप तो खुद कहते थे कि छोटे–छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं । –(विध्न) –

चौधरी रिजक राम : मैं तो यह चाहता हूं कि यह जो शोर पड़ रहा है जमीन बांटने का, यह खत्म होना चाहिए । मैं मुख्य मन्त्री जी और रैवेन्यू मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करता हूं कि बजाए इसके कि आप खाली शोर डालते रहें, आप इसको निपटा दें ।

श्री बनारसी दास गुप्त : निपटा रहे हैं ।

चौधरी रिजक राम :यह अमैंडिंग बिल फिर हाई कोर्ट में नाजायज करार दिया जाएगा । इसमें बहुत सी कंट्राडिक्शन्ज हैं । यह बात नहीं होनी चाहिए कि देहात में हमेशा तकरार बना रहे । आज किसान तो सोचता है कि तेरी भूमि ले जाएंगे और लैण्ड लैस हरिजन और दूसरे लोग सोचते हैं, कि तुम्हें भूमि मिलेगी । अगर आप सचमुच ही इस झगड़े को निपटाना चाहते हैं, तो भले ही आप सबको एक–एक बीघा या आधा बीघा दे दो, मगर दे दो जरूर । इसको लटकाओ मत । चौधरी मनफूल सिह जी यहां बैठे

हुए हैं । इन्होंने पिछली दफा बोलते हुए इस बारे में बहुत अच्छा कहाथा, अगर इजाजत होतो कह दूं । –(विघ्न) ––

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । असल बात यह है कि ये औरों की स्पीच का हवाला इसलिए दे रहे हैं कि मेन ऐक्ट पर बोल लें । दरअसल चौधरी साहब, इसका स्कोप बडा लिमिटेड है ।

श्री बनारसी दास गुप्त : स्पीकर साहब, बात यह है कि हम तो झगड़े को समाप्त करते हैं, मगर ये झगड़े को पैदा करते हैं । अगर ये खामोश रहें, तो कोई झगड़ा नहीं है यह सारा सैटल हो जाएगा ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने फरमाया था कि बात तो बाहर जानी नहीं लेकिन इनको सुनाना मैं ठीक समझता हूं, ताकि ये एक दफा बैठकर इसको सुलझा दें । जिस वक्त यह बिल आया सन् 72 में, उस वक्त सरकार की तरफ से फरमाया गया कि डेढ़ लाख के करीब भूमि सरप्लस जाएगी । उसके बाद इसका निरीक्षण किया गया और दो तीन दिन हुए अब मुख्य मन्त्री जी ने यहां बोलते हुए कहा कि 92 हजार एकड़ के करीब भूमि सरप्लस आने की उम्मीद है । यह जो गरुद्वारे और मन्दिर वगैरह की जमीन छूट जाएगी, उसके बाद कोई 87 हजार या 65 हजार एकड़ के करीब जमीन सरप्लस आने की उम्मीद है, ऐसा मैं समझता हूं । स्पीकर साहब, यह खामख्वाह का शोर है,

क्योंकि ऐक्ट को इन्होंने ऐसा कर दिया है कि उसमें कोई जमीन सरप्लस आने की मुझे कोई आशा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जिद करता नहीं । मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि आप जो चाहते हैं, वह कर दो । असल किस्सा यह है कि यह चाहते हैं कि जमीन न बटे, शोर ये कर रहे हैं, कि बंटनी चाहिए । अगर बांटनी है, तो बांट दो, नहीं तो कह दो कि नहीं बंटनी चाहिए । – (विध्न) –स्पीकर साहब 65 हजार एकड़ के करीब जमीन सरप्लस बची है । 18 लाख के करीब हरिजन हैं, इस हरियाणा प्रान्त में । फिर यहां बैकवर्ड क्लासिज के लोग भी हैं, ऐक्स सर्विसमैन को भी ये देना चाहते हैं । फिर जो छोटे किसान हैं, मार्जिनल फारमर्ज हैं, उनको भी देना चाहते हैं । ये सब 12 लाख के करीब बनते हैं और हरिजनों को मिलाकर 30 लाख के करीब लोग हैं, जिनको ये जमीन देना चाहते हैं, जबकि जमीन है केवल 6 5–6 7 हजार एकड़ । इसके अलावा, स्पीकर साहब, इजैक्ट होने वालेटैनैन्ट हैं, उनको भी ये बसाएंगे ।

श्री बनारसी दास गुप्त : हमने यह कब कहा है कि हम हरेक भूमि हीन को जमीन देंगे । जितनी है हमारे पास उतनी दे दे देंगे ।

चौधरी रिजक राम : इसको ये जितना लेट करेंगे, खामख्वाह उतनी ज्यादा टैशन देहात में होगी । इसका कोई फायदा नहीं है । स्पीकर साहब, यह जो अमैंडिंग बिल ला रहे हैं, इसमें इतनी कन्ट्राडिक्शन्ज हैं कि यह कभी सिरे नहीं चढ. सकता

। फिर इनका जो बीस सूत्री प्रोग्राम है, उसके अनुसार ये सारी भूमि को जून, 1976 तक कतई तौर पर बांट कर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जून तक तो इनका एक इंच भी काम आगे नहीं हो सकेगा । जितना आज है, उसमें भी रुकावट पड़ेगी । खैर, मैं ज्यादा न बोलते हुए यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसमें जो भी सरकार करना चाहती है, वह निश्चित रूप से एक दफा कर दे, रोज अगर ये अमैंडिंग बिल लाएं, तो उससे फायदा नहीं । इससे टैन्शन पैदा होती है, उन लोगों में जो भूमि हीन हैं, और भूमि वाले हैं । जो लैण्डलैस हैं, वे सोचते हैं, कि जमीन अब मिली कि अब मिली, उधर किसानों को डर है कि हमारी जमीन छिन जाएगी । मैं अपने रेवैन्यू मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करुंगा कि बतौर मैंबर जो उन्होंने सरकार को सलाह दी थी, वही सलाह मैं उनको आज दे रहा हूं । कृपया इसको मानकर इस झगड़े को जल्दी से जल्दी निपटा कर खत्म करें, इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूं ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Sub-clause (2) of clause 1.

Mr, Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 15

Mr. Speaker: Question is—

That clauses 2 to 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (1) of clause 1.

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) : Sir, **I** have to move an amendment.

Mr. Speaker : Yes.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, **I** beg to move—

That for the words "Twenty-sixth, the words "Twenty-seventh" be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved.

That for the words "Twenty-sixth" the words "Twenty-seventh", be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That for the words "Twenty-sixth," the words "Twenty-seventh", be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker ; Question is—

That Enacting Formula, as amended, be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) : Sir, I beg to move—

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, as amended, be passed.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Speaker, Sir, I

have listened with rapt attention to the arguments advanced by Chaudhri Rizaq Ram, Hon. Member from the Opposition, opposing the amending Bill. He has expressed certain apprehensions and with a view to strengthening his case he has tried to make a reference to my speech which I made on the 4th of October, 1972, as a member of this House. The hon. Member would very kindly appreciate that those were my views as a member when I was not the mover of the Bill. Now the circumstances have changed. Why, the amending Bill ? This is clear to the hon. Members of this House that certain provisions of the Act were struck down by the High Court. Punjab had gone in appeal to the Supreme Court. The Government of Haryana had not pr.' ferred any appeal and we thought it desira ble to bring the amending bill. Now, certain objections which had been raised in the writs before the High Court have been removed by this amending Bill. My learned friend's apprehensions that the amending Bill will not carry us towards the goal we are aiming at are not based on facts. If we try to read the amending Bill in between the lines, I would respectfully submit, sir, that there is nothing vague or ambigous. Without taking much time of the House, I would refer to the points raised by the Hon. Member. Regarding the definition of 'family', there is not much difference between the definition given in the original Act and the amending Bill. The definition given in the amending Bill reads-

" 'family' means husband, wife and their minor children or any two or more of them."

and in the original Act the definition given is-

" 'family' means husband, wife and their minor

children, or any one or more of them."

`One' does not constitute a family. This objection was raised before the High Court and it was upheld. Therefore, this amendment was necessary. Then, Sir, he has referred to the explanations. Regarding explanation II about 'Child', he has gone so deep that there can be no illegitimate son or illegitimate child of the husband cr the wife. After all he is an advocate of a very long standing and he must say something even though it does not have any weight. I know with due apology, **J** would say, he would try to convince the Hon. Court even on points which have absolutely no base. That goes to his credit. Otherwise, there is nothing wrong in it. Then, Sir, the hon. Member has referred to proposed sub-section (6) to section 4, which reads-

"(6) For evaluating the land of any person at any time under this Act, the land owned by him immediately before the commencement of this Act as well as the land acquired by him after such commencement by inheritance, bequest or gift from a person to whom he is an heir shall be evaluated as if the evaluation was being made on the appointed day and the land acquired by him after the appointed day in any other manner shall be evaluated as if the evaluation was being made on the date of such acquisition."

Why ? Why was this amendment necessary ? We may, sir, read the word 'after' as on the appointed day and after'.

Suppose a particular land owner owns some land on the appointed date i.e. the 24th of January, 1971, and

improves the quality of the land by sinking tubewells and all that, that should not increase the area. That was the main idea. Otherwise, if he becomes a big landowner and tries to own more than 18 acres by will, bequest or by inheritance that certainly would be taken into consideration and the land would be evaluated accordingly. That was the main idea. there is nothing wrong in it.

Then, sir, regarding section 8, the interpretation of this section is clear. Section 8 reads—

"(1) Stye in the case of land acquired by the Union Government or the State Government under any law for the time being in force or by a tenant under the Pepsu Law or the Punjab law or by an heir by inheritance, no transfer of land in excess of : —

(a) the permissible area under the Pepsu Law or the Pepsu Law or the Punjab Law alter the 30th day of July, 1958, and

(b) the permissible area under this Act, except a bonafide transfer after the appointed day, shall not effect the right of the State Government under the aforesaid Acts to the surplus area to which it would be entitled but for such transfer,

The permissible area under the Pepsu Law or the Punjab Law was 30 standard acres. The premissible area under this Act is 18 acres. There is a difference of 12 acres which he could dispose of and that is a bonafide transfer except the premissible area under this Act, except a bonafide transfer after the appointed date. So, these were the main

points. Then he has invited the attention of the House towards the speech of the Hon. Chief Minister. In this connection, I would submit, sir, as to how much surplus area would be actually available to be given to the landless harijans or backward classes or ex-military personnel is a matter to be calculated. Under the amending Bill, we would be inviting new declarations and on receipt of new declaration forms, whatever surplus area would be available would be distributed as per the rules framed under the Act and the Government ::leans to implement the Act, all the provisions of the Act, in letter and spirit. Through you, sir, I wish to assure the August House that there should be no reason or a grain of thought to doubt the bonafides of the Goverment. The apprehensions in the mind of the Hon. Member who has given expression to his views just now are not based on facts and I can convince of our bonafides. Whatever land will be available, we may not be exact at this stage because some land was available under the Punjab Security of Land Tenures Act, under the Pepsu Act and now under the new Act, would be distributed and the 20 point programme announced by the Prime Minister on the 21st of July would be fully implemented and he should have absolutely no apprehensions. With these words, sir, I would submit that the Bill be passed.

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय जहां तक चौधरी रिजक राम जी ने इस बिल के बारे में कानूनी बातों की चर्चा की थी, उनका तो माकूल जवाब मेरे साथी पंडित चिरंजी लाल जी ने दे दिया । दोनों वकील हैं, दोनों सियानपत के रहने वाले हैं, दोनों स्याने हैं, लेकिन इनकी स्पीच का, इनके

भाषण का एक राजनैतिक पहलू भी है । उसके बारे में मैं चन्द शब्द कहना चाहता हूं । एक बार यहां इसी सदन में इन्होंने कहा कि मैं मुख्य मन्त्री जी को चौलेंज देता हूं कि वे एक इंच भी भूमि सरप्लस निकालकर नहीं दे सकते ।

चौधरी रिजक राम : मैंने नहीं कहा ।

श्री बनारसी दास गुप्त : वह सरीच रिकाडिंड है, निकालवा कर देख लें । इसी सैशन में कहा है । आज वे खुद ही मानते हैं कि 60–85 हजार एकड़ जमीन निकल आएगी । अगर इतनी भूमि निकल आई तो हम 12– 13 हजार आदमियों को जमीन दे सकते हैं – (तालियां) ––जो नम्बर वे बतलाते हैं कि भूमिहीन किसानों का, बैकवर्ड लोगों का या एक्स–सर्विसमैन का बहुत बड़ा है । हमने कभी किसी को कोई वायदा नहीं किया कि हम सभी भूमिहीन व्यक्तियों को जमीन देंगे । हमने इस सदन में और बाहर भी बार–बार यह कहा है, एलान किया है कि हम सब को भूमि नहीं दे पाएंगे, जितनों को दे सकते हैं देंगे बाकी लोगों को दूसरे रोजगार और काम धन्धे देंगे । यह बात हमने बार–बार कही है । एक बात चौधरी साहब ने यह भी कही कि सब जगह तनाव बना हुआ है । वह तनाव पैदा करने वाले ये लोग हैं । जब ये जमींदार के पास –रहते हैं तो उनको कहते हैं कि तेरी कमीन छिनेगी और जब हरिजन के पास जाते हैं तो कहते हैं कि तेरे को एक भी खूड नहीं मिलेगा । यह इनकी बात होती है । अध्यक्ष– महोदय, तो यह तनाव पैदा करने वाले, इस प्रकार का वातावरण

पैदा करने वाले चौधरी रिजक राम और इनकी पार्टी है । अगर यही सही दृष्टि– कोण अपनाकर (रही बात बाहर और अन्दर कहें, तो किसी रम–गर का कोई तनाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं । सरकार इस बारे में पूरी तरह से ईमानदार है और ईमानदारी के साथ इस सीलिंग बिल को इम्प्लीमैंट करना चाहती है और प्रधान मन्त्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम से यह एक महत्वपूर्ण प्वांयट है 'जिस पर हम अमल करना चाहते हैं और हम इसको इम्प्लीमैंट करेंगे ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, as amended, be passed,

The motion was carried.

दि पंजाब पंचायत समितीज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1976

Agriculture Minister (Col. Maha Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill, 1976.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill be taken intc consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana

Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

New Clause 4

Shri Dhaja Ram (Safidon) : Sir, **I** beg to ask for leave to move—

That after Clause 3 of the Bill, the following shall be inserted namely "4. For Section 12 and 13 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:-

"12. Filling of casual vacancies.—(l) when the place of a Primary or Co-opted Member becomes vacant by resignation, death or otherwise, a new Member shall be nominated by the prescribed authority from amongst persons eligible for election or co-option, as the case may be :

Provided that where a vacancy occurs on the

election of a Primary Member being set aside by the prescriF ed authority under section 121, such vacancy shall be filled up by election in the manner prescribed.

(2) Any person nominated to fill up the vacancy under this section shall hold office for the unexpired portion of the term for which the person in whose place he is nominated would have otherwise continued in office.

13. Appointments in cases of default. If at an election to Panchayat Samiti the requisite number of Primary Members is not elected, the prescribed authority may make up the deficiency by nomination from amongst persons eligible for election as such. The term of the office of the Primary Member so nominated shall be coterminous with that of the elected Primary Member."

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to insert new clause 4 after clause 3.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to insert new clause 4 after clause 3.

The motion was carried.

Shri Dhaja Ram : Sir, I beg to move—

That after Clause 3 of the Bill, the following shall be inserted, namely :-

"**4.** For Sections 12 and 13 of the principal Act, the

following sections shall be substituted, namely :-

"12. Filling of casual vacancies.—(1) when the place of a Primary or Co-opted Member becomes vacant by resignation, death or otherwise, a new Member shall be nominated by the prescribed authority from amongst persons eligible for election or co-option, as the case may be :

Provided that where a vacancy occurs on the selection of a Primary Member being set aside by the prescribed authority under section 121, such vacancy shall be filled up by election in the manner prescribed.

(2) Any person nominated to fill up the vacancy under this section shall hold office for the unexpired portion of the term for which the person in whose place he is nominated would have otherwise continued in office.

13. Appointments in cases of default. If at an election to Panchayat Samiti, the requisite number of Primary Members is not elected, the prescribed authority may make up the deficiency by nomination from amongst persons eligible for election as such. The term of the office of the Primary Member so nominated shall be coterminous with that of the elected Primary Member."

Mr. Speaker : Motion moved—

That the clause be considered.

Mr. Speaker : Question is—

That the clause be considered.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Agriculture Minister (Col. Maha Singh) : Sir, I beg to move—That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh" be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That for the words 'Twenty-sixth' the words `Twenty-seventh' be substituted. **Mr. Speaker :** Question is—

That for the words 'Twenty-sixth', the words 'Twenty-seventh' be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

The Enacting Formula, as amended, be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Agriculture Minister (Col. Maha Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Panchayat Samittis (Haryana Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब शाप्स एण्ड कमर्शियल एस्टेबलिशमैंटस

(हरियाणा एमैंडमैंट) बिल, 1976

Transport Minister (Shri K. L. Poswal) : Sir, I beg to introduce the

Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Bil,1976.

I also beg to move—

That the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker ; Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Transport Minister (Shri K. L. Poswal) : Sir, I beg to move—

That for the word "Twenty-sixty" , the word "Twenty-seventh be subsituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh" be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That for the words "Twenty-sixth" the words "Twenty-seventh" be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker . Question is—

That Enacting Formula, as amended, be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Transport Minister (Shri K. L. Poswal) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Bill as amended be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब टाऊन इम्प्रूवमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1976

Local Government Minister (Chaudhri Pokar Ram Godara) : Sir, I beg to introduce the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill, 1976.

I also beg to move—

That the Punjab Town Imporvement (Haryna Amendment) Bill be **taken into** consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker Question is—

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill be taken **into** consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 3.

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Local Government Minister (Chaudhri Pokar Ram Godara) : Sir, I beg to move—

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh" be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That for the words "Twenty-sixth" the words

"Twenty-seventh" be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That for the words "Twenty-sixth" the words "Twenty-seventh" be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is-

Tnat Enacting Formula, as amended, be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Chaudhri Pokar Ram Godara : Sir, I beg to move—

That the Punjab Town improvement (Haryana Amendment) Bill as amended be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill as amended be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Town Improvement (Haryana

Amendment) Bill as amended be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा अरबन (कन्ट्रोल आफ रैन्ट एन्ड इविक्शन) अमैडमैंट बिल, 1976

Local Government Minister (Chaudhri Pokhar Ram Godara) : Sir, I beg to introduce the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, 1976.

I also beg to move—

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री० के०एन० गुलाटी (फरीदाबाद) : स्पीकर साहब, यह जो हरियाणा अर्बन (कन्ट्रोल आफ रैन्ट ऐंड इविक्शन) अमैंडमैंट बिल, 1976 सदन के सामने है, मैं उसको पास करने के हक में खड़ा हुआ हूं । चूंकि मौजूदा हालात में कोर्टस में जो केस जाते हैं और एस०डी०एमज० होते हैं वे ओवर बर्डन होते हैं और केसिज काफी लम्बे हो जाते हैं । मालिक औरर किराया– दार के झगड़े काफी दिनों तक चलते रहते हैं । मैं चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब इस तरफ ध्यान दें और कुछ ऐसा करें जिससे कि तीन महीने के अन्दर केस खत्म हों

श्री अध्यक्ष : आप जो कुछ बोल रहे हैं, हुस बिल से उसका कोई सम्बन्ध नहीं हूं ।

Mr. Speaker ; Question is—

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 and 3

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Local Government Minister (Chaudhri Pokhar Ram Godara) : Sir, I beg to move— -

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh" be substituted.

Mr. Speaker ; Motion moved—

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh" be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That for the words "Twenty -sixth" the words "Twenty-seventh" be substitued.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula, as amended, be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Local Government Minister (Chaudhri Pokhar Ram Godara) : Sir, I beg to move —

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved.

That the Hary ma Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब एक्साइज (हरियाणा अमैंडमैटं) बिल, 1976

Excise & Taxation Minister (Shri Shyam Chand) : Sir, I beg to introduce' the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1976.

I also beg to move—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved.

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 4

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2 to 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Shri Gulab Singh Jain : Sir, I beg to move—

That for sub-clause (a) of clause 5 of the Bill, the following sub-clause shall be substituted, namely—

"(a) in sub-clause (iii), for the words "the strength, or price below which any intoxicants shall not be sold", the words "the strength at which intoxicants shall be sold" shall be substituted; and"

Mr. Speaker: Motion moved—

That for sub-clause (a) of clause 5 of the Bill, the following sub-clause shall be substituted, namely -

"(a) in sub-clause (iii), for the words "the strength, or price below which any intoxicants shall not be sold", the words "the strength at which intoxicants shall be sold", shall be substituted; and"

Mr. Speaker : Question is—

That for sub-clause (a) of clause 5 of the Bill, the following sub-clause shall be substituted, namely :-

"(a) in sub-clause (iii), for the words "the strength,

or price below which any intoxicants shall not be sold", the words "the strength at which intoxicants shall be sold", shall be substituted; and"

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 5, as amended, stand part of the Bill,

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker : Question is—

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker : Question is—That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Excise and Taxation Minister Shri Shyam Chand) : Sir I beg

to more

That for the words "Twenty-sixth" the words "Twenty-seventh" be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That for the words "Twenty-sixth" the words "Twenty-seventh" be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That for the words "Twenty-sixth", the words "Twenty-seventh be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula, as amended be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Excise & Taxation Minister (Shri Shyam Chand) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker. Question is—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, as amended, be passed.

Tne motion was carried.

दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 1976

Agriculture Minister (Col. Maha Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill, 1976.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the 'Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

राव दलीप सिंह (कनीना): स्पीकर साहब, इसमें कई महत्वपूर्ण अमैंडमैंट्स की गई हैं, इसमें सबसे पहले मैं इस बारे में बताऊंगा कि जो इस सैक्शन की अमैंडमैंट्स की गई है

After the second proviso to sub-section (2) of

section 9 of the Principal Act, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that before granting the said permission, the Director shall enquire into the allegations, if any, against any of the Panches seeking the permission of unauthorised occupation of shamilat deh, or misappropriation of Gram Fund or any other property of the Gram Panchayat, or non-payment of taxes or any other dues of the Gram Panchayat and if the allegations are proved, he shall withhold the permission".

यानी एक नो–कान्फीडैस मोशन की परमिशन के लिए डायरैक्टर के पास यूक एप्ली– केशन आती है तो उस में उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि अगर उन्हें पन्च के खिलाफ कोई शिकायत है तो वह शिकायत अगर ऐप्रूव हो जाती है तो वह परमिशन ग्रांट नहीं की जाएगी । स्पीकर साहब, मेरी –इसमें प्रार्थना है कि यह जो कंडीशन लगाई गई है इसमें कुछ डिस्क्रीशन को करटेल करना चाहिए । पहली बात तो यह है कि इस में कोई टाइम निश्चित होना चाहिए कि डायरैक्टर साहब कब वह इनक्वायरी कम्लीट करेंगे । अगर कोई एप्लीकेशन आ गईकि मैंबर पंचायत ने जमीन दबा रखी हैऔर अगरउसकी साल भरदो साल भर इनक्वायरी न हों तो जो नो कान्फीडैसं की एप्लीकेशन है, दैट बिकम्ज इन्फ्रक्चुअस और इसके लिए टाइम निश्चित होना चाहिए कि यह इनक्वायरी एक महीने में तीन महीने में या 6 महीने में पूरी हो जाएगी और हमें टाइम लिमिट पर पक्के रहना चाहिए,

वरना इसका यह होगा कि नो कान्फीडैसं की दूसरी एप्लीकेशन आ जाएगी और पहली साल दो साल भर पैंडिंग पड़ी रहेगी । अतः मेरा कहने का मतलब यह है कि इस काम को करने के लिए कोई टाइम निश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि एक इनक्वायरी तीन महीने में, चार महीने में या छः महीने में कम्पलीट की जाएगी ।

इसके बाद स्पीकर साहब, दूसरी अमैंडमैंट फिलिंग आफ कैजुअल वैकेन्सीज के बारे में है कि ये सभी वेकैसीज बजाय इलैक्शन के नामीनेशन के द्वारा भरी जाएंगी । यह जनरल पंचायत राज के खिलाफ है, इसमें इलैक्शन होना चाहिए न कि नामीनेशन । स्पीकर साहब, इसके बाद यह आया कियाम सभाकी मीटिंगें साल में ढो दफा बुलाई जाएंगीं, जिसमें अगर कोई सरपंच उस मीटिंग को अटैंड नहीं करता तो उसको ससपैडं किया जा सकता है, हटाया जा सकता है लेकिन मीटिग अटैन्ड न करने के लिए कोई सफीशैंट काज का होना बहुत जरूरी है कि यह–यह सफीशैट काज होंगे, जिनके द्वारा ऐसा किया जाएगा । अतरू मेरी सबमिशन है कि सफीशैट काज को डिफाडन किया जाना चाहिए कि क्या–क्या सफीशैट काज होते हैं वरना कोई काज भी हो सकता है कि मेरी भैस खो गई थी, मैं ढूढने चला गया था, इसलिए मीटिंग अटैन्ड नहीं कर सका । इसलिए इस बिल में सफीशैट काज को क्लीयर किया जाना चाहिए जिसके द्वारा एक सरपंच को हटाया जा सकेगा ।

इससे आगे स्पीकर साहब, इन्हेंने सभा का कोरम घटा

कर वन फिफथ की बजाय वन टैंथ कर दिया है, बहुत छोटा कोरम दिया है, यह तो बिल्कुल बेमायने है क्योंकि अगर किसी सरपंच के पास सौ आदमी हैं, सभी को बुलाकर वहू चुपचाप मीटिंग करसकता है, जो कि पंचायती राज के बिल्कुल खिलाफ है, इसके बाद मैं इतना ही बताऊंगा कि इसमें एक और भी अमैंडमैंट आई है

The Director may suspend any Panch where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, enquiry or trial, if, in the opinion of the Director, the charge made or proceeding taken against him is likely to embarrass him in the discharge of his duties or involves moral turpitude or defect of character

यानी कोई भी क्रिमिनल आफैंस अन्डर इनवैस्टीगेशन है तो उसमें क्रिमिनल आफैसं की लिस्ट होनी चाहिए कि यह–यह क्रिमिनल आफैसं हैं, ऐसे तो कोई भी आदमी कम्पलेंट फाइल कर देगा । मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें स्पैसीफिकली ऐसी लिस्ट का जिक्र आना चाहिए कि यह–यह क्रिमिनल आफैस बनते हैं–विध्न–तों मेरी सबमिशन है कि इन बातों पर गौर किया जाए, वरना यह पंचायती राज का नचा बिल्कुल बिखर जाएगा और यहां पर मनमानी होगी ।

चौधरी रिजक राम (राई) : स्पीकर साहब, यह जो संशोधन पंचायत ग्राम एक्ट मेकरने की तजवीज है, इसके बारे में, मैं दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं । जहां एक पंचायत से कुछ

एरियाज निकाल कर दूसरी पंचायत में लगाने का सवाल है, उसमें एक अमल खासतौर पर काबिले जिकर है कि बहुत से ऐसे गैर–आबाद देहात हैं जिनके मालकान 'एक्स' गांव के हैं, एक पर्टीकुलर गांव के हैं लेकिन एरिया को एक्सक्ल्ड करते हुए वह गैर–आबाद गांव जो हैं, ऐसे कितने ही गांव दूसरी पंचायतों में लगा दिए गए हैं । मालकान हैं एक्स गांव के और वह हमेशा से उन जमीनों को काश्त करते आए हैं और वह इससे बैनीफिट भी ड्रा करते आए हैं लेकिन उन गैर–आबाद गांवों के रकबे को दूसरी गांवों की पंचायतों में लगा दिया और जो असल मालकान थे जिनकी वे. जमीनें थीं, उनको इस बैनीफिट से डिपराइव कर दिया । ऐसी तीन चार मिसालें हमारी सोनीपत तहसील की हैं, जैसे असावरपुर गांव है, उसके साथ लगता हुआ फिरोजपुर खादर का गांव गैर–आबाद –है– और असावरपुर गांव के मालकान उस रकबे के मालकान हैं लेकिनउस गांव को राई कीपंचायत में लगाया हुआ है । पहले एक दफा उसमें दुरुस्ती की गई थी और असावरपुर की पंचायत में लगाया गया लेकिन अब दोबारा फिर उधर ही लगा दिया । एक और कुराड –इब्राहिम पुर गांव है, हमारी तहसील में, उससे लगता दुआ अब्दुर पुर गांव गैर आबाद हैं और जो कुराड इब्राहिम के मालकान हैं, वे अब्दुर पुर के रकबे के मालकान हैं यानी अब्दुरपुर के रकबे गैर–आबाद गांव को दूसरे जेवरू की पंचायत में लगा दिया है, तो इस तरह से जो असल मालकान थे जिन की वह जमीन थी, वह उसका फायदा उठाने की बजाय, दूसरे उसका फायदा उठा रहे हैंतो अगर किसी एरियाज को एक्सल्ड

करना हो तो कम से कम यह तो देखना चाहिए कि भई उसके मालकान कौन हैं? ऐसा आपने पंचायत एक्ट में प्रोवाइड भी कर रखा है कि एक गांव का रकबा दूसरी पंचायत में लगाया जाएगा तो उसकी जो आमदन है, वह उन्हीं मालकान के मफाद, हित के लिए खर्च की जाएगी । लेकिन इसका उल्टा अमल हो रहा है । मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसमें वह जरा गौर फरमाएं । इसके आगे क्लाज 4 में आपने लिखा है कि एरिया एक्सक्ल्ड होने की वजह से अगर किसी पंचायत में 5 से कम मेंबर हो जाए तो वहां गवर्नमैंट नोमिनेट कर सकती है लेकिन मैं यह पूछना चाहताहूं कि अगर किसी पंचायत में दूसरा एरिया मिलाने की वजह से संख्या 9 से ज्यादा हो जाती है तो क्या किया जाएगा, उसके लिए भी तो कोई प्रोवीजन होनी चाहिए थी । अगली बात जिसके लिए मैं मन्त्री महोदय को मुबारिकबाद देना चाहता हूं वह यह है कि उन्होने नो–कान्फीडैस मोशन पर कुछ पाबन्दी लगाई है, जो कि लाजमी थी और जिन पंचायतों में गड़बड़ है,जो पंचायत इस तरह से अपनी पोजीशन का एब्यूज कर रही हैं, जैसे एक दफा दर्खास्त दे दी कि इस सरपंच पर हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए हटना चाहिए औरफिर अगर सरपंच उनको राजी कर लेता है तो दूसरे दिन वे उसके साथ हो जाते हैं । पंचों का यह हाल है कि दर्खास्त देने से लेकर डायरैक्टर साहब की मंज्री आने तक वे दो–दो, तीन–तीन दफा बदलते हैं, कभी सरपंच के साथ हो जाते हैं तो कभी उसके खिलाफ । पंचायतों के बारे में हम रोज देखते हैं कि जो क्रप्शन का आलम वहां गुजर रहा है वह बड़ा

अफसोसनाक है । मुझे एक मिसाल याद आ गई । पंचायतों के मैंबरान में इतनी क्रप्शन चल रही है कि एक आदमी ब्लाक समिति के इलैक्शन के लिए खडा हो गया और जिस वक्त राय शुमारी होने लगी तो उसके पक्ष में एक भी राय नहीं थी । लोगों ने पूछा कि बक्से में तेरी अपनी राय भी नहीं मिली, तो वह कहने लगा कि मैंने अपनी राय तो पहले ही बेच दी थी और उसी के सहारे में इलैक्शन लड़ रहा हूं । तो यह हालत है पंचों की । इसके बाद अगर कोई भी सरपंच किसी पंच के खिलाफ कार्यवाही करता है या उसके खिलाफ हो जाता है तो उसके लिए आपने यह प्रोवीजन किया है कि इजाजत नहीं देंगे लेकिन उस इजाजत न देने सेक्या बनेगा, अगर पंच ही सरपंच के साथ नहीं हैं, तो सरपंच फंक्शन कैसे करेगा ।

यानी 8–9 पंच हैं एक पंचायत में और वे दूसरे आदमी को सरपंच बनाने के लिए अगर पैसा ले लेते हैं तो अकेला सरपंच क्या करेगा । चाहे सरपंच का कोई कसूर भी नहीं है और उसने पंचायत की बहबूदी के लिए काम भी किया है लेकिन पंच उसके खिलाफ हैं तो आप क्या करेंगें । इसमें तो दोनों रास्ते हैं कि या तो आप पंचों को इजाजत दें और या पंचायत को सुपरसीड करें । आपको यह प्रोवीजन लाना चाहिए था कि पंच जो तहरीक ला रहे हैं उसमें उनकी यह इनटैंशन तो नहीं है कि चूंकि सरपंच ने उनके खिलाफ कार्यवाही की है । तो अगर आपने ऐसी हालत में पंचायत को सुपरसीड करना शुरू कर दिया तो वही झगड़े रोज के

रोज रहेंगें क्योंकि अगर आपने पंचायत को सुपरसीड कर दिया तो उनका परपज तो इस तरह भी हल हो जाएगा । इसके साथ–साथ मैं मन्त्री महोदय से अर्ज करूंगा कि पंचायत गे और भी बड़ी भारी क्रप्शन हैं । सैकेटरी से मिल कर ऊपर के लेवल के अफसर भी क्रप्शन करते हैं । एक–एक गांव में जमीन एक्वायर होती है तो वहां से दो–दो ओर दस–दस लाख तक मुआवजा मिलता है, इसके अलावा वैसे भी आमदन काफी है । वे गांव में किसी न किसी बहाने से मुकद्दमेबाजी करते हैं और अदालत में जाकर वकील करते हैं । स्पीकर साहब, मैं आपको अपने साथियों के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां वकीलों से मिलकर फर्जी रसीदें बनती हैं और जहां वकील को 50 रुपए देने होते हैं वहां दो–दो, चार–चार सौ रूपए देते हैं जिसकी वजह से पंचायत का रुपया जाया होता है । मैं यह तजवीज देना चाहता हूं कि जहां म्युनिसिपल कमेटी हैं, वे अपनी तरफ से एक–एक वकील पंचायत की तरफ से रखें और किसी भी पंचायत को वकील की फीस देने की इजाजत नहीं होनी चाहिए आप उनसे एक–एक, दो–दो रुपए चन्दे के रूप में इकट्ठे करते रहे, और वह जो चन्दा हो, उससे वकील की फीस दी जा सकती है । अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो क्रप्शन का कोई ठिकाना नहीं रहेगा । आप जहां पंचायतों के काम में और सुधार करना चाहते हैं वहां इस तरफ भी थोडा सा और सुधार कर दें । इसके बाद मैं क्लाज 8 के बारे में अर्ज करना चाहता है । यह तो आप अच्छा प्रस्ताव लाए हैं कि पंचायत साल में दो दफा जरूर मीट करे लेकिन स्पीकर साहब, बीच में

एक बात वैसे ही कर दी । पहले जो एक्ट था उसमें यह था कि अषाढी के बाद और श्रावणी के बाद एक–एक मीटिंग रखी जाएगी जिस पर पंचायतों ने अमल नहीं किया । अब आपने यह कर दिया है कि साल में दो दफा मीटिग होगी और तारीख जो समिति मुकरर्र करेगी, वह होगी । तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि समिति को आप बीच में न रखें, आप यह कर दें कि एक मीटिंग जून के महीने में होगी और एक दिसम्बर के महीने में होगी । आगे जहां आपने बजट पेश करने के बारे में कहा वही उसके अकाउंट्स का भी हिसाब होना चाहिए क्योंकि पंच और सरपंच हिसाब नहीं देते हैं बल्कि फर्जी बातें बता देते हैं कि फलां जगह मिट्टी डाली थी और फलां जगह यह काम किया था तो मैं यह अर्ज करता हूं कि समिति को अगर आप बीच में रखेंगे तो इससे और ज्यादा कम्प्लीकेशन्ज आएगी । समिति किसी की फेवर करेगी और किसी को नुक्सान पहुंचाने की कोशिश करेगी । कल को समिति यह भी कह सकती है कि हमने तो मीटिंग तय कर दी थी लेकिन कुछ मैम्बर्ज ने मीटिंग नहीं की, तो इसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि समिति को बीच में न लाया जाए, तो अच्छी बात है । अगली बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह विलेज फंक्शनरीज के बारे में है । आपने कहा कि ग्राम सभा की जो मीटिंग होगी उसमें दूसरे कर्मचारी भी शामिल होंगे, जैसे पटवारी हए और दूसरे कर्मचारी हैं । तो मैं एक अर्ज करना चाहता है कि अब भी ग्राम पंचायत एक्ट में आपने पंचायतों को बडे अख्तियारात दिए हैं । अगर किसी पटवारी के बारे में पंचायत शिकायत करती है तो

उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा । लेकिन अमल में यह देखा गया है कि जहां सारी की सारी पंचायत सर्वसम्मति से किसी पटवारी या किसी विलेज फंक्शनरी के खिलाफ रिपोर्ट करती है तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है । मुझे बाद है कि एक पटवारी के बारे में एक नहीं, दो पंचायतों ने जो उसके हल्के में पड़ती थीं, सर्वसम्मति से एक बार नहीं, कई बार लिखकर दिया कि वह बहुत पैसा लेता है, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन तो और क्या लेना था, उसे साल डेढ साल तक तबदील तक नहीं किया और वहां पर ही वह दनदनाता रहा । मैं अर्ज करता हूं कि आप पंचायतों को पूरा मान दें और अगर उनकी कोई बात ही नहीं सुनता तो फिर इस एक्ट के पास करने का क्या फायदा है । आपने उनको दफा 21 और 23 के तहत पावर्ज तो बहुत दे रखी हैं, जो कि हाई कोर्ट की तरह की हैं, लेकिन उनकी इज्जत कोई करता ही नहीं । न डीसी. न एसडीएम. और न तहसीलदार उनकी किसी बात पर, रिपोर्ट पर कोई गौर करता है । अगर आप उनको पावर देते हैं तो उनको पूरा मान भी दिलाए । एक दफा 23 में तरमीम करना चाहते हैं कि एक रोज की बजाय तावान पांच रुपए योमिया कर रहे है? । स्पीकर साहब, आप भी जानते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब भी देहात से सम्बन्ध रखते हैं, जानते हैं कि पांच रुपए योमिया जुरमाना कर देना महज इस बात के लिए कि किस1ई. ने कोई रुकावट दूर नहीं की बहुत ज्यादती वाली बात है । मैं समझता हूं कि पहले जो एक रुपया योमिया रखा था, वह इसके ज्यादा था, लेकिन अब और भी ज्यादा सख्ती कर दी है,

इस से कोई फायदा नहीं होग.।– । इसके साथ एक बात और कर दी है कि पहले दफा 23 के तहत निगरानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को दी थी, लेकिन अब यह कर दिया है कि डिप्टी डायरैक्टर के पास अपील होगी और वह फाइनल होगी । सैक्शन 41 में पहले ह्वीं यह है कि अगर इस तरह की सजा हो तो उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट निगरानी कर सकता है, लेकिन अब यह कर दिया कि डिप्टी डायरैक्टर को अपील हो सकती है और उसका आर्डर फाइनल होगा । इस तरह यहदोतों बातें कंट्राडिक्टरी कर दी हैं । आप यह गलत बात कर रहे हैं कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से पावर लेकर डिप्टी डायरैक्टर को दे रहे हैं । जब आप जानते हैं कि गांव में पार्टी– बाकी है और पार्टी बाकी की बिनाह पर झूठी दरखास्ते लेकर लोगों पर तावान डाले जाते हैं और मकान गिराने की कार्यवाही करते हैं, इसलिए ऐसे हालात में जुडिशियल मैजिस्टेरट से ये पावर्ज विदड्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि पंचायतें जैसे काम कर रही हैं, वह सभी जानते हैं । से मानता हूं कि इस में कुछ तरमीमें ऐसी भी की गई हैं जो अच्छी भी है लेकिन जो बातें ने बताई हैं और जो कमियां मैंने बताई हैं, उन पर सोच विचार करने की भी जरूरत है और उम्मीद करता हूं मन्त्री महोदय उन पर गौर फरमाएंगे और उनकी दरुस्ती करेंगे ।

17.00 बजे

चौधरी मेहर चन्द (बडोपल) : स्पीकर साहब, मैं महसूस करता हूं कि इससे बेहतरीन बिल हाउस के सामने और

कोई आ नहीं सकता । (थम्पिग) मैं गवर्नमैंट को और चीफ मिनिस्टर साहब को दाद देता हूं इस बिल के लाने के लिए और खास तौर पर एक बात कहूंगा

श्री अध्यक्ष : एक शेअर भी कह दो ।

चौधरी मेहर चन्द : स्पीकर साहब, आप माफ करें, मैं शेअर कहने के मूड में आज नहीं हूं कल आप खाना खिलाएंगे तो जरूर कहूंगा । –(हंसी) –तो मैं अर्ज करता हूं कि सैक्शन 102 में जो अमैंडमैंट हुई है वह लाजवाब है । हमारे हिसार में श्री गोस्वामी डी०सी० थे । उनका दरवाजा मैंने कई दफा नौक किया कि फलां सरपंच के खिलाफ 15– 20 केसिज अदालत में चलते हैं उसको सस्पैडं करो लेकिन he expressed his inability and be justfiied that उन्होने कहा कि इनक्वायरी के दौरान वह सरपंच को सस्पेडं नहीं कर सकते, उनको ऐसी पावर एक्ट में नहीं है । यह बहुत बड़ी बात थी कि ऐसे हालात में भी डी०सी० कोई ऐक्शन लेने से लाचार हो । मैंने यह बात और भी कई जगह पर एक्सप्रैस की थी और आज वह दिन आ गया है कि गवर्नमैंट ने इस कमी को दूर कर दिया और इसके लिए मैं गवर्नमैंट को दाद दिए बगैर नहीं री सकता कि वह ऐसा अच्छा बिल लाई है । मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि यही एक अच्छा बिल आया है और भी अच्छे बिल आयु हैं । लैण्ड सीलिंग के बारे में भी अच्छा तरमीमी बिल. आया है, लेकिन उसके बारे में मैं यह नहीं कह सकता जो इसके बारे में कहता हूं कि this bill is very happily

worded say like that also.

कृषि मन्त्री (कर्नल महा सिंह): अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मेरे ज्यादातर साथियों ने इस बिल को अच्छा बताया है और इसकी सराहना भी की है । राव दलीप सिंह जी ने कुछ बातें कहीं हैं जिनमें से कुछ का जवाब चौधरी रिजक राम जी ने दे दिया है । जो बात उनको अच्छी नहीं लगी थी, वह इनको अच्छी लगी है । कुछ बातें ऐसी हैं, जिनके बारे में कुछ मैं अर्ज करना चाहता हूं । एक सुझाव राव दलीप सिंह ने यह दिया कि टाइम बाउंड करना चाहिए । मैं इस सुझाव को मानता हूं और रूल्ज में ऐसा प्रोविजन कर देंगे कि बी०डी०ओ0 की तरफ से ऐसे केसिज के अन्दर जब सरपंच के खिलाफ नो कान्फीडैंस की मोशन आए, जब पंचायत के दूसरे मैम्बरान ने जमीन पर कब्जा कर रखा हो, ऐसे ही हालात में वे सरपंच को हटाने की कोशिश करते हैं तो बी०डी ०ओ० अपनी प्रिलिमिनरी इनक्वायरी एक महीने के अन्दर जरूर करेगा और फिर डिपार्टमैंटल इनक्वायरी तीन महीने के अन्दर जरूर मुकम्मल कर ली जाएगी, ऐसा रूल्क में प्रोविजन जरूर करेंगे । – (थम्पिग) –

दूसरी बात उन्होंने नामीनेशन के बारे में कही । नामीनेशन इसलिए रखी है कि कई दफा पंचायत के किसी मैंबर की अचानक मौत हो जाती है अस्तीफा तो कम ही देते हैं, दे भी देते हैं कुछ तो ऐसे हालात में फिर से दोबारा सारा इलैक्शन का प्रोसीजर अडाप्ट करने में बहुत कुछ देर हो जाती है और इस देरी

को हम रिमूव करना चाहते हैं । फिर आप जानते हैं कि जब एक मैंबर का इलैक्शन होना होता है तो सारी बातें चलती हैं, जिससे गांव में कशीदगी पैदा हो जाती है । तो इन सारी बातों को देखते हुए यही मुनासिब समझा गया है कि नामीनेशन से सीट भर दी जाए, ताकि देरी भी नहो और गांव में एक सीट को भरने की बात से कशीदगी पैदा न हो और इससे गांव को बचाया जाए । एक बात और राव दलीप सिंह ने कही और यह चीज चौधरी रिजक राम ने भी कही है कि समिति को क्यों बीच में ला रहे हैं । यह प्रोविजन पहले भी एक्ट में है कि ग्राम सभा की दो मीटिंग्ज साढी और सावनी के वक्त जरूर हों, लेकिन होती नहीं थीं । हम चाहते हैं कि ग्राम सभा की कम से कम दो मीटिंग्ज जरूर हों, ज्यादा चाहे तो कर ले लेकिन कम से कम दो तो जरूर हों और ऐसा करने के लिए समिति को भी पाबन्द करदिया हैकि वह देखे कि दो मीटिंग्क जरूर होनी चाहिए । इसमें यह भी रखा है कि उन मीटिग्ज में ब्लाक का बी०डी ०ओ० जरूर हाजिर हो और अगर किसी खास वजह से वह नहीं आ सकता तो उससे अगला सीनियर अफसर करूर वहां पर हाजिर होगा । यह इसलिए किया गया ताकि मीटिंग्क बोगस न हों और वैसे ही दस्तखत वगैरा करवा कर ही न बता दें कि मीटिंग हो गई और वैसे न करें । तो जब बी०डी०ओ0 वहा मीटिंग में हाजिर होगा तो ऐसी बोगस कार्यवाही नहीं हो सकेगी और इसके साथ समिति को भी पाबन्द कर दिया है कि वह भीदेखे कि साल में कम से कम दो मीटिग्ज जरूर हों । पुराने कानून में भी ऐसा कायदा रखा हुआ है कि

समिति मीटिंग की तारीख मुकरर करेगी और अगर समिति नहीं हैतो बीडीओ. तारीख मुकरर करेगा । फिर कोरम के बारे में कहा गया है कि ग्राम सभा का कोरम 1/5 की बजाय 1710 कर दिया है । यह इसलिए किया गया है कि यह कोरम बहुत ज्यादा था । कई गांव ऐसे हैं जिनकी दस–दस और पन्द्रह–पन्द्रह हजार की आबादी है और एक बटा पांच के कोरम के हिसाब से देखें, तो इतनी आबादी का इकट्ठा होना मुश्किल होता था, इसलिए यह कोरम घटाकर 1/10 किया गया है । इस सदन का कोरम भी 1! 5 नहीं है, जिसमें थोड़े से गिने गिनाए मैंबर हैं, 1/10 है । ग्राम सभा तो बहुत बड़ी संस्था है, जिसके 15 हजार तक मैंबर होते हैं, बड़े–बड़े गांव हैं । इनके लिए 1/5 का कोरम करेंगे, तो वे हाजिर नहीं होंगे, अगर 1/10 के कोरम में भी हाजिर हो जाएं, तो भी बड़ी बात है । इसलिए कोरम के मामले में ग्राम सभा को भी विधान सभा का महत्व देना चाहिए, वैसा ही कोरम रखना चाहिए । इस बिल में साफ है कि अगर कोई पंच या सरपंच कुरप्टिड हो, जिसके खिलाफ करैक्टर खराब होने का एलीगेशन हो, यानी जो मौरल टरपिच्य्ड में इनवाल्वड हो, तभी उसको सस्पैडं किया जाएगा, दूसरे छोटे केसिज में नहीं किया जाएगा । मौरल टरपिच्यूड की डैफिनिशन क्या है इसको मेरे से ज्यादा मेरे कानूनदार वकील ज्यादा जानते हैं । चौधरी रिजक राम जी ने एक बात कही कि एक पंचायत से दो पंचायतें बना दी गई । दरअसल इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि डिपार्टमैंट के पास जगह जगह से एप्लीकेशन्ज आई कि हमारी इन तीन गांवों की या चार गांवों की

एक की बजाय, दो पंचायते बना दी जाएं, लेकिन हमारे पास ऐसा प्रोवीजन नहीं है । या तो पहले मैंबर इस्तीफा दें और फिर दोनों पंचायतों का इलैक्शन हो तब ठीक रहेगा । लेकिन वे इस्तीफा देना नहीं चाहते । अब इसमें प्रोवीजन रखा है कि जो पहले के मैंबर हैं, वे रहेंगे और उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, चाहे किसी एक पंचायत में पंचायत के जेबरों की संख्या ज्यादा क्यों न हो जाए, इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा । लेकिन दूसरी पंचायत जो बनी है उसमें कम से कम 5 मैंबर जरूरी हैं और उन पांच मैंबरों को हम एक साल या दो साल के लिए, हमेशा के लिए नहीं, जितने दिनों तक इलैक्शन नहों, इन मैंबरों को नोमीनेट कर दिया जाए । जब हमारे इलैक्शन होंगे, तो पंचायतों कादोबारा इलैक्शन हो जाएगा । यह इसलिए किया गया है कि इस किस्म की बहुत सी दरखास्तें आई हैं कि एक पंचायत की दो पंचायते बनाई जाएं और हम नहीं कर सकते थे जब तक पहले की पंचायतें इस्तीफा न दें, तब तक दोनों पंचायतों का इलैक्शन नहीं हो सकता । नामजदगी करने से एक पंचायत की दो पंचायतें बहुत जल्दी बन जाया करेंगीं और साथ ही साथ मिड टर्म इलैक्शन नहीं हो पाएंगे इसलिए ऐसा किया गया है । चौधरी रिजक राम जी का एक प्वांयट था कि गैर आबाद गांवों की जमीन लगा दी जाती है । चौधरी साहब ने दो चार गांवों का नाम बताया भी है । मैं इसकी जांच करवाऊंगा । जिस पंचायत की हद में वे गांव कानूनन जाएंगे, उनको वैसे ही जाने दिया जाएगा, किसी दूसरे गांव की तरफ बिना कानून नहीं

किया जाएगा । जिन–जिन जगहों से शिकायतें आई हैं, उस एक–एक शिकायत को महकमा एग्जामिन करेगा।

पंचायतों के अकाउंट्स की बाबत भी चौधरी साहब ने कहा । ग्राम सभा की दो मीटिंगें रखने का मकसद यही है । हाडी और छावनी की दो मीटिंगें रखी जाती थीं वह नहीं रखी जातीं । पूरे बजट का लेखा–जोखा, प्लानिंग, ये सब चीजें हम रूल में लाएंगे । इसके बाद दूसरी मीटिंग और होगी, जिस में पंचायतों का सारा काम ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा और इसी तरह से पंचायतें अपना सारा लेखा–जाखा, अकाउंट्स ग्राम सभा के सामने रखेगी, ताकि किसी भाई को अकाउटस में कोई शक हो, कोई गड़बड़ हो गई हो, तो वह पकड़ी जाए । चौधरी रिजक राम जी की बात को मैं मानता हूंग्राम सभाओं और पंचायतों में काफी गड़बड़ है और खास तौर पर सोनीपत में खास गड़बड़ है–(हंसी)– ज्यादा से ज्यादा शिकायते सोनीपत जिले की आती हैं । सोनीपत में भी खास तौर से तहसील सोनीपत की ज्यादा आती हैं, गोहाना का नाम नहीं होता– (व्यवधान) – पंडित जी मेरी बात से नाराज न हों । उनके साथ राई और एक आध और पड़ोसी हलका लगता है–(हंसी)–तो मैं कह रहा था कि यह मीटिंगें इसलिए रखी गई हैं, ताकि अकाउंट्स वगैरा साफ किए जा सकें, पंचायतें जो फैसला करती हैं ,उनको ग्राम सभा के सामने रखें, ताकि आसपास के गांवों 'में विकास के कार्य में एक होकर, मिलकर काम करें । बगैर पार्टीबाजी से सब मिलकर कार्य करें ।

चौधरी रिजक राम जी ने स्टैण्डिंग काउंसिल की सलाह दी थी । उन्होंने इसके लिए आज भी कहा है और पहले भी कहा था । मैंने महकमे को कह दिया है कि इसको एग्जामिन करे । महकमा एग्जामिन कर रहा है । उनका कहना यह है खासतौर पर सोनीपत में, एक पंचायत वकील कर लेती है और फीस 1100 रुपए दिखा दी, चाहे 100 रुपए देने पड़े' । वे कहते हैं कि वकील तब करेंगे अगर रसीद 1100 रुपए की देंगे । चौधरी साहब मेरे नोटिस में ऐसे केसिज लाए हैं । इस विपदा को दूर करने. के लिए जिस तरह नोटिफाइड एरिया या म्यनिसि– पैलिटी में या दूसरी संस्थाएं हैं, उन में स्टैण्डिंग काउंसिल होती है, हम इस केस को एग्जामिन करवाएंगे कि पंचायतों के लिए भी इस किस्म की स्टैण्डिग काउंसिल हो । जहां तक लीगल एडवाइजर की बात है, गवर्नमैंट ने 1 1 लीगल ऐडवाइजर पहले ही मन्कूर कर दिए थे–एक यहां और 10 जिलों के लिए । इनमें से तीन चार लीगल ऐडवाइजर्क की पोस्टें' भरी जा चुकी हैं, लेकिन बाकी पोस्टें फाइनैंशियल स्टिंरजैसी की वजह से नहीं भरी गईं । इनको जल्दी ही भरा जाएगा । जो लीगल ऐडवाइजर होंगे, वे पंचायतों को सीख–सलाह भी दिया करेंगे । पटवारी, जंगलात महकमे के टीचर, ग्राम सचिव वगैरा जो भी पब्लिक फंक्शनरीज हैं, इन को ऐडवाइज देने के लिए कुछ करेंगे । हमने इस बिल से पंचायतों के हाथ मजबूत किए हैं । पंचायतों की एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए, जो दिक्कतें आती थीं, उनको दूर करने की कोशिश की है । पंचायतों के जरिए से हर जिले में पंचायतों के सेमीनार रखे हुए हैं । बहुत

से मैंबरों ने कहा हैकि यह बहुत अच्छा बिल है । चौधरी मेहर चन्द जी ने कहाकि यह बहुत अच्छा बिल है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं । इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बाबत बात आई । जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इसलिए अगल रखा कि बहुत से पंचों और सरपंचों ने बताया कि हम अगर किसी को सम्मन करते हैं तो इसके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है । एक–एक साल हो जाता है और कोई हाजिर ही नहीं होता । इसलिए इस पावर को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से निकाल कर एग्जैक्टिव मैजिस्टेरट को दे दिया है, ताकि किसी आदमी को हाजिर करने के मामले में एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट जिम्मेवार हों । चौधरी रिजक राम ने जिक्र किया कि पार्टीबाजी बहुत होती है । इसको कम करने के लिए हमने यह किया है कि महकमा के डाय–रैक्टर या डिप्टी डायरैक्टर के द्वारा ही फैसले हो जाया करें, इसलिए इस बिल में अमैंडमैंट लाई गई है । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह बिल बहुत सोच विचार कर अमैंड किया गया है । पंचायतों के पंचों और सरपंचों के सम्मेलन जो ब्लॉक स्तर पर होते रहे हैं, जैसे नीलो– खेडी में पूरे हरियाणा का सम्मेलन हुआ था, इनमें जो सुझाव रखे गए हैं, और एम०एल०एज०ने जो सुझाव रखे हैं, उन को सामने रखकर बिल अमैंड किया गया है । नीयत सिर्फ यह है कि पंचायती राज अच्छी तरह से चले, गांव के विकास का कार्य अच्छे ढंग से हो और लोग मिल कर चलें तथा पार्टीबाजी को गांव से खत्म किया जाए, यह कह कर मैं आपके द्वारा हाउस से यह निवेदन करूंगा कि इस बिल

को पास किया जाए ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr . Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 20

Mr. Speaker: Question is—

That clauses 2 to 20 stand part of the Bill

The motion was carried.

Clauses 21 to 25.

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 21 to 25 stand part of the pill

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That clause 1 stand part of the ;Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title.

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Agriculture Minister (Col. Maha Singh): Sir, I beg to move-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana /Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker. The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

17.21 बजे

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 28th January, 1976.)

APPENDIX

To

Haryana Vidhan Sabha Debates Vol. I No. 11 dated the 27th

January, 1976

(Please see foot-note at page (11)16 of the Debates)

परिशिष्ट I

पानीपत थर्मल पावर प्रोजैक्ट पर लगे हुए कर्मचारियों का श्रेणी वार व्यौरा –

क्रमांक	पद का नाम.	सं ०
1	प्रोजैक्ट अक्सर	1
2	अधीक्षक अभियन्ता सिविल (निर्माण) 1	
3	कार्यकारी अभियन्ता	10
4	सहायक अभियन्ता–I	13
5	सहायक अभियन्ता–II	8
6.	सर्कल अधीक्षक	1
7	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1

8	एस०ए०एस० लेखाकार	1
9	ग्रेजूयेट तकनीकी सहायक	7
10	लेखाकार	7
11	अपर डवीजन कर्लक	18
12	सीनियर स्केल स्टैनों	2
13	कनिष्ठ स्केल स्टैनों	5
14	निम्न श्रेणी कर्लक	24
15	कनिष्ठ लेखाकार	1
16	मुख्य नक्शा नवीस	4
17	नक्शा नवीस	2
18	लाईन सुपरिनटैन्डैट एस ०, ओ० (सिविल)	24
19	स्टोर अटैन्डैटं	3
20	दफतरी	1
21	चपडासी	28
22	सहायक फोरमैन	3

कुल योग 160